

25)

भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 9, 2011/फाल्गुन 18, 1932

No. 124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 9, 2011/PHALGUNA 18, 1932

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

( उपभोक्ता मामले विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2011

सा.का.नि. 202(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 52 की उप-धारा (2) के खण्ड (ज) और (थ) के साथ पठित उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधिक माप विज्ञान (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 2011 है।
- (2) ये 1 अप्रैल, 2011 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का 1) अभिप्रेत है;

(ख) "व्यौहारी" से पैकज में रखी गई वस्तु के संबंध में ऐसा व्यक्ति अथवा फर्म अभिप्रेत है जो प्रत्यक्षतः या अन्यथा, नकदी के लिए या आस्थिगत संदाय के लिए या कमीशन, पारिश्रमिक या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए पैकज में रखी गई ऐसी किसी वस्तु के क्रय, विक्रय, प्रतिदान या वितरण का कारबार चलाता है, और इसके अंतर्गत ऐसा कमीशन अधिकर्ता भी आता है जो किसी मालिक की ओर से ऐसा कारबार चलाता है, किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा विनिर्माता नहीं आता है जो किसी वस्तु का विनिर्माण पैकज बंद रूप में विक्रय या वितरण के लिए करता है जबकि ऐसे विनिर्माता द्वारा ऐसी वस्तु का वितरण व्यौहारी से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता हो;

(ग) "लॉट" से अभिप्रेत है—

- (i) ऐसे पैकजों के मामले में जिन्हें भंडारित किया गया है, ऐसे भंडारित पैकजों की कुल संख्या; और
- (ii) ऐसे पैकजों के मामले में जो पैकिंग अवस्था में या उसकी समाप्ति की स्थिति में हैं पैकजों का अधिकतम प्रति घंटा उत्पादन;

(घ) "विनिर्माता" से पैकेज में रखी किसी वस्तु के संबंध में ऐसा व्यक्ति, अथवा फर्म अभिप्रेत है जो ऐसी वस्तु का उत्पादन, निर्माण या विनिर्माण करता है और उसमें ऐसा व्यक्ति अथवा फर्म भी आता है जो अपने द्वारा उत्पादित, निर्मित या विनिर्मित न किए गए किसी पैकेज में रखी गई वस्तु पर कोई चिन्ह अंकित करता है या करवाता है और चिन्ह पैकेज में रखी गई वस्तु के बार में यह दावा करता है कि वह वस्तु यथास्थिति ऐस व्यक्ति अथवा फर्म द्वारा उत्पादित, निर्मित या विनिर्मित की गई है;

(ड.) "अधिकतम अनुजेय त्रुटि" से किसी पृथक पैकेज में रखी गई मात्रा के संबंध में कमी की ऐसी त्रुटि अभिप्रेत है, जो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट त्रुटियों की सीमाओं से अधिक नहीं है;

(च) "शुद्ध मात्रा" से किसी पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु के संबंध में, उस पैकेज के अन्तर्विष्ट पैकिंग अथवा आवेष्टन को छोड़कर ऐसी वस्तु के तोल, माप की मात्रा अथवा संख्या अभिप्रेत है;

(छ) "पैककर्ता" से ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई फर्म या हिन्दू अविभक्त अभिप्रेत है जो किसी वस्तु थोक या फुटकर विक्रय के लिए उपयुक्त किन्हीं एककों में किसी बोतल, टिन, आवेष्टन में या अन्यथा पूर्व पैकेज बंदी करता है।

(ज) "प्रधान संप्रदर्शन पैनल" से किसी पैकेज से किसी पैकेज के संबंध में वह कुल सतही क्षेत्र अभिप्रेत है, जहां इन नियमों के अधीन अपेक्षित जानकारी निम्नलिखित रीति में दी जा सकती है नामतः-

(i) सभी जानकारी एक ही समूह में और एक ही स्थान पर दी जा सकती है; या

(ii) पूर्व-मुद्रित जानकारी एक ही समूह में और एक ही स्थान पर दी जा सकती है, और अन्य स्थान पर एक साथ समूह में दी गई जानकारी के अनुसार;

(झ) "मात्रा" से किसी पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु के संबंध में उस पैकेज के अन्तर्विष्ट ऐसी वस्तु के तोल, माप की मात्रा या संख्या अभिप्रेत है;

(ञ) "फुटकर व्योहारी" से किसी पैकेज बंद वस्तु के संबंध में ऐसा व्योहारी अभिप्रेत है जो उपभोक्ता को ऐसे पैकेजों का सीधे विक्रय करता है और उसमें ऐसे पैकेजों के संबंध में जो सीधे उपभोक्ताओं को विक्रय किए जाते हैं ऐसा थोक व्योहारी सम्मिलित है जो ऐसा सीधा विक्रय उपभोक्ता को करता है;

(ट) "फुटकर पैकेज" से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जो उसमें ऐसी रखी गई वस्तु के उपभोग के प्रयोजन के लिये अंतिम उपभोक्ता को फुटकर विक्रय के लिये आशयित है और इसमें आयातित

पैकेज भी शामिल है। बशर्ते कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “अंतिम उपभोक्ता” अभिव्यक्ति में औद्योगिक अथवा संस्थागत उपभोक्ता शामिल नहीं होंगे;

(ठ) “फुटकर विक्रय” से किसी वस्तु के संबंध में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह या किसी अन्य उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए फुटकर विक्रय दुकानों, अभिकरणों या अन्य माध्यमों द्वारा ऐसी वस्तु का विक्रय, वितरण या परिदान अभिप्रेत है;

(ड.) “फुटकर विक्रय कीमत” से अधिकतम कीमत अभिप्रेत है, जिस पर पैकेजकृत रूप में रखी गई वस्तु उपभोक्ता को विक्रय की जा सकेगी और पैकेज पर कीमत निम्न प्रकार से मुद्रित की जायेगी;

अधिकतम / अधिक. फुटकर कीमत रु...../ ₹..... सभी करों को शामिल करके; या एम. आर.पी रु...../ ₹..... सभी करों को शामिल करके, यह इस तरीके से निर्धारित की जाएगी कि पचास पैसे से कम के गुणक को पूर्ववर्ती रूपये में और 50 पैसे से ऊपर और 95 पैसे तक को पचास पैसे में समायोजित किया जायेगा।

(ढ) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ण) “अनुसूची” से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) “मानक पैकेज” से ऐसी पैकेज अभिप्रेत है जिसमें वस्तु की विनिर्दिष्ट मात्रा अन्तर्विष्ट हो;

(थ) “थोक व्याहारी” से पैकेज में रखी किसी वस्तु के संबंध में वह व्याहारी अभिप्रेत है जो ऐसी किसी वस्तु का किसी उपभोक्ता को सीधे विक्रय नहीं करता है किन्तु ऐसी वस्तु का वितरण या विक्रय एक या अधिक माध्यस्थों द्वारा करता है;

(द) “थोक पैकेज” से ऐसा पैकेज अभिप्रेत है जिसमें -

(i) बहुत से फुटकर पैकेज अन्तर्विष्ट हो जहां ऐसे प्रथम वर्णित पैकेज को किसी माध्यस्थ को विक्रय, वितरण या परिदान किए जाने का आशय हो और किसी एक उपभोक्ता को सीधे विक्रय किए जाने का आशय न हो; या

(ii) किसी माध्यस्थ को थोक में विक्रय की गई वस्तु अन्तर्विष्ट है, जिसमें ऐसा माध्यस्थ ऐसी वस्तु को उपभोक्ता को लघु मात्राओं में विक्रय, वितरण या परिदान करने में समर्थ हो सके; या

(iii) दस या दस से अधिक खुदरा पैकेजों वाले पैकेज, यदि खुदरा पैकेजों को इन नियमों की अपेक्षानुसार लेबल किया गया है।

(घ) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्ति जो परिभाषित नहीं किए गए हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

## अध्याय - II

फुटकर विक्रय के लिए आशयित पैकेजों को लागू उपबंध

3. अध्याय का लागू होना - इस अध्याय के उपबंध निम्नलिखित के लिए लागू नहीं होंगे -

(क) 50 कि० ग्रा० तक के बैगों में बेचे जाने वाले सीमेंट और उर्वरकों को छोड़कर 25 कि० ग्रा० अथवा 25 लीटर से अधिक मात्रा वाले पैकेज; और

(ख) औद्योगिक उपभोक्ताओं या संस्थागत उपभोक्ताओं के लिए बनी पैकेज में रखी गई वस्तुएं।

स्पष्टीकरण :- इस नियम के आशय से ;

i) “संस्थागत उपभोक्ता” से वे संस्थागत उपभोक्ता अभिप्रेत हैं जो परिवहन, एयरवेज, रेलवेज, होटल, हस्पिटल अथवा कोई अन्य सेवा संस्था विनिर्माताओं अथवा पैकरों से सीधे पैकेज में रखी वस्तुएं अपनी संस्था में प्रयोग हेतु खरीदता है।

(ii) “औद्योगिक उपभोक्ता” से वे औद्योगिक उपभोक्ता अभिप्रेत हैं जो उनके उद्योग में प्रयोग करने के लिए विनिर्माताओं अथवा पैकरों से सीधे पैकेज में रखी वस्तुएं खरीदते हैं।

4. पैक में रखी वस्तुओं के पहले से पैक करने और उनके विक्रय आदि का विनियमन :- इन नियमों के प्रारम्भ पर और तब से कोई व्यक्ति किसी वस्तु को विक्रय, वितरण या परिदान के लिए तब तक पहले से पैक नहीं करेगा, या न पहले से पैक कराएगा, या न पहले से पैक करने की अनुज्ञा देगा जब तक कि उस पैकेज पर, जिसमें वस्तु पहले से पैक की गई हो, उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर ऐसी घोषणाएं न लगी हों जिनका दिया जाना इन नियमों के अधीन अपेक्षित हैं।

स्पष्टीकरण:- विनिर्माता के परिसरों के अंदर फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा के बिना पैकेजों के अस्तित्व को इन नियमों के उल्लंघन के रूप में नहीं समझा जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अपने गन्तव्य के लिए विनिर्माता के परिसरों को छोड़ते हुए सभी पैकेजों पर फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा होगी जैसा कि इस नियम अपेक्षित है।

5. **विनिर्दिष्ट वस्तुएं संस्तुत मानक पैकजों में पैक और विक्रय की जाएगी:-** द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को ऐसी मानक मात्राओं में विक्रय, वितरण अथवा परिदान के लिए पैक किया जाएगा जैसा कि उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है:-

परन्तु यह है कि द्वितीय अनुसूची ने विनिर्दिष्ट वस्तुएं उस अनुसूची में निर्धारित साइज से परे किसी साइज में पैक की जाती है तो घोषणा कि विधिक मान विज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत मानक पैक आधार नहीं अथवा विधिक मान विज्ञान (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, 2011 के तहत गैर मानक आकार ऐसे पैकेज के लेबल पर प्रमुख रूप में की जाएगी।

6. **हर पैकेज पर की जाने वाली घोषणाएं – (1) हर पैकेज पर या उस पर सुरक्षित रूप से चिपकाए गए लेबल पर निम्नलिखित की बाबत इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार की गई निश्चित, स्पष्ट और सहज घोषणाएं होंगी:-**

(क) विनिर्माता का नाम और पता या जहां विनिर्माता पैककर्ता नहीं है, वहां पर विनिर्माता और पैककर्ता का नाम और पता तथा किसी आयातित पैकज के लिए आयातकर्ता का नाम और पता प्रत्येक पैकज पर उल्लिखित होनी चाहिए।

**स्पष्टीकरण I –** यदि किसी कंपनी का नाम और पता “द्वारा विनिर्मित अथवा द्वारा पैक” किन्हीं अर्हक शब्दों के बिना लेबल पर उल्लिखित किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि ऐसा नाम और पता उस विनिर्माता का होगा और उसी के अनुसार जिम्मेदारी निर्धारित की जाएगी।

**स्पष्टीकरण II –** यदि ब्रैंड का नाम और ब्रैंड मालिक का पता लेबल पर विपणनकर्ता के रूप में प्रकट होता है तो इन नियमों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन के लिए ब्रैंड मालिक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और मानिक विनिर्माता के खिलाफ यथा अपेक्षित करवाई की जाएगी और लेबल पर एक से अधिक नाम और पते छपे होने पर लेबल पर पहले स्थान पर अंकित विनिर्माता के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा और न कि अन्य विनिर्माता के खिलाफ।

**स्पष्टीकरण III –** ऐसे पैकेजों के लिए जिनमें खाद्य वस्तुएं रखी हो, इस उपनियम के उपबंध लागू नहीं होंगे, और इसके सिवाय, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की अपेक्षा और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू होंगे।

(ख) पैकेज में रखी गई वस्तु के सामान्य अथवा जातीय नाम और एक से अधिक उत्पाद वाले पैकजों के मामले में, प्रत्येक उत्पाद का नाम और संख्या अथवा मात्रा प्रत्येक पैकेज पर उल्लिखित होनी चाहिए।

(ग) पैकेज में रखी गई वस्तु के तोल या माप की मानक यूनिट के अनुसार शुद्ध मात्रा या जहां वस्तु का संख्याओं के अनुसार पैक या विक्रय किया जाता है वहां पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की संख्या उल्लिखित की जानी चाहिए।

(घ) मास और वर्ष जिसमें वस्तु का विनिर्माण किया गया या पहले से पैक किया गया अथवा आयात किया गया, पैकेज पर उल्लिखित किया जाना चाहिए।

परन्तु यह है कि ऐसे पैकेजों के लिए जिनमें खाद्य वस्तुएं अन्तर्विष्ट हैं, खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध लागू होंगे;

परन्तु यह और कि इस उपखंड की कोई बात उन बीज वाले पैकेजों के मामले में लागू नहीं होगी जिन पर बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियम के अधीन लेबल लगाए गए हैं और प्रमाणित किए गए हैं।

परन्तु यह है कि विनिर्माता बिना ऊपर लिखे अर्थात् काट कर लिखे बिना रबर स्टॉप का प्रयोग करके माह और वर्ष उल्लिखित करें।

परन्तु यह भी है कि कॉस्मेटिक्स उत्पाद वाले पैकेजों के लिए ड्रम और कॉस्मेटिक्स नियम, 1945 के उपबंध लागू होंगे।

(ड.) पैकेज के खुदरा विक्रय मूल्य;

परन्तु यह कि अल्कोहोलिक बिवरेज अथवा स्परिटियूस लिकर वाले पैकेजों के लिए, राज्य उत्पाद कानून और इसके अंदर बनाए गए नियम उस राज्य के भीतर लागू होंगे जहां इन्हें निर्मित किया गया और जहां राज्य उत्पाद कानून और उनके तहत बनाए गए नियम फुटकर विक्रय मूल्य की घोषणा की व्यवस्था नहीं है, वहां इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

(च) जहां पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु के आकार सुसंगत हैं वहाँ पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु की लम्बाई, चौड़ाई और यदि भिन्न-भिन्न वस्तुओं के आकार भिन्न-भिन्न हैं, तो ऐसी प्रत्येक भिन्न वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई को उल्लिखित किया जाएगा।

(छ) ऐसी अन्य बातें जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट की गई हैं:

परन्तु यह कि -

(क) वह मास और वर्ष, जिसमें वस्तु को विनिर्मित किया जाता है अथवा पहले से पैक किया जाता है, की कोई घोषणा को उनके ऊपर उल्लिखित करने की आवश्यकता नहीं है--

(i) बीड़ी अथवा सुगंधित अगरबत्ती वाला कोई पैकेज;

(ii) किसी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा भरा गया और विक्रय किया गया 14.2 कि० ग्रा० अथवा 5 कि० ग्रा० का घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलैण्डर;

(ख) जहां कोई पैकेज की सामग्री जिस पर यह मास लिखा हुआ है जिसमें किसी वस्तु को पहले से ही पैक करने की प्रत्याशा की गई है, उस मास में पूरी तरह से प्रयोग में नहीं आती है वहां ऐसी पैकेज

सामग्री का प्रयोग ठीक अगले मास के दौरान उत्पादित या विनिर्मित संबंधित वस्तु को पहले से ही पैक करने के लिये जा सकेगा किन्तु उसके पश्चात् नहीं। किन्तु केन्द्रीय सरकार, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि ऐसे पैकेज की यथास्थिति, विनिर्माता या पैककर्ता के नियंत्रण से परे किसी परिस्थिति के कारण उपरोक्त अवधि के दौरान प्रयोग नहीं किया जा सकता है वह उस समय को बढ़ा सकेगा जिसके दौरान ऐसी पैकेज सामग्री को प्रयोग किया जा सकता है, और, जहां ऐसी उस पर विनिर्दिष्ट मास के अवसान से पूर्व समाप्त हो जाती है, वहां आगामी उत्तरवर्ती मास के दौरान उपयोग के लिए आशयित पैकेज की सामग्री संबंधित वस्तुओं को पहले से पैक किए जाने में उपयोग में लाई जा सकेगी;

परन्तु यह है कि ऐसे पैकजों के लिए जिनमें खाद्य उत्पाद अंतर्विष्ट हैं, वहां के पूर्व सर्वोत्तम या के पूर्व उपयोग की अवधि निर्माण या पैकिंग की तारीख से नब्बे दिन या उससे कम है, वह उक्त उपबंध लागू नहीं होगा।

- (ग) निम्नलिखित पर फुटकर विक्रय कीमत के बारे में किसी घोषणा की अपेक्षा नहीं होगी।
- (i) कोई पैकेज जिसमें बीड़ियां हों;
  - (ii) कोई घरेलू द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस सिलिन्डर जिसका मूल्य सरकार प्रशासनिक मूल्य तंत्र के तहत कवर किया गया है।

स्पष्टीकरण I: वह मास और वर्ष, जिसमें वस्तु को पहले से पैक किया जाता है, शब्दों द्वारा या संख्याओं द्वारा उस मास और वर्ष को उपदर्शित करने वालों किन्हीं संख्याओं द्वारा या दोनों में अभिव्यक्त किया जाएगा।

- (2) प्रत्येक पैकेज पर व्यक्ति अथवा कार्यालय का नाम, पता, दूरभाष, ई मेल पता, यदि उपलब्ध होगा जिससे उपभोक्ता की शिकायतों की दशा में संपर्क किया जा सकता है।
- (3) इन नियमों के तहत अपेक्षित परिवर्तन अथवा घोषणा करने के लिए पैकेज पर पृथक स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी। परन्तु यह है कि अधिकतम फुटकर मूल्य को कम करने के लिए संशोधित न्यूनतम अधिकतम फुटकर मूल्य (सभी कर सहित) का स्टीकर लेबल के पैकेज पर लगाया जाए और जैसा भी मामला हो इसमें विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा की गई अधिकतम फुटकर मूल्य घोषणा शामिल नहीं होगी।
- (4) इन नियमों के अधीन किये जाने के लिये अपेक्षित घोषणा से भिन्न कोई घोषणा करने के लिये स्टीकरों का प्रयोग अनुज्ञेय होगा
- (5) जहां वस्तु विभिन्न घटकों से मिलकर बनी हो और इन घटकों को दो या अधिक एककों में, एक वस्तु के रूप में विक्रय हेतु पैक किया गया हो, वहां उप नियम (1) के अधीन की जाने वाली घोषणा मुख्य पैकेज पर होगी और ऐसे मुख्य पैकेज पर साथ के अन्य पैकेजों के बारे में भी सूचना रहेगी अथवा ऐसी घोषणा व्यक्तिगत पैकेजों पर दी जानी चाहिए और इस आशय की सूचना मुख्य पैकेज पर दी जानी चाहिए और यदि घटकों को स्पेयर पार्ट्स के रूप में बेचा जाता है, तो सभी

घोषणाएं प्रत्येक पैकेज दी जाए।

7. प्रधान संप्रदर्शन पैनल – इसका क्षेत्र, आकार और अक्षर आदि – (1) पाँच क्यूबिक सेंटीमीटर या उससे कम क्षमता वाले पैकेजों की दशा में, प्रधान संप्रदर्शन पैनल ऐसा कार्ड होगा अथवा सुदृढ़ रूप से चिपकाया गया टेप होगा जिस पर अपेक्षित जानकारी होगी।

(2) प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर, इन नियमों के अधीन अपेक्षित घोषणा में किसी संख्या की ऊँचाई निम्नलिखित से कम नहीं होगी:-

(i) जैसे सारणी-I में दिखाया गया है, यदि शुद्ध मात्रा को वजन या आयतन में घोषित किया गया है;

(ii) जैसे सारणी-II में दिखाया गया है, यदि शुद्ध मात्रा को लंबाई क्षेत्रफल या संख्या में घोषित किया गया है।

(3) घोषणा में शब्दों की ऊँचाई 1 मि० मीटर ऊँचाई से कम नहीं होनी चाहिए और जब इसे धमित, अभिरूपित, मोड़ा, उभारा अथवा छेदित किया जाता है, तो अक्षरों की ऊँचाई 2 मि० मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह है कि अक्षर अथवा संख्या की चौड़ाई संख्या (i) और अक्षरों (I), (1) और (1) को छोड़कर इसकी ऊँचाई की एक तिहाई से कम नहीं होनी चाहिए;

#### सारणी-I

#### संख्या की न्यूनतम ऊँचाई

क्र० सं०	वजन/आयतन में शुद्ध मात्रा	न्यूनतम ऊँचाई मि० मी० में	
		सामान्य दशा	जब अधान पर धमित, अभिरूपित ढाली गई, उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो।
1	200 ग्रा०/मि०ली० तक	1	2
2	200 ग्रा०/मि०ली० से ऊपर और 500 ग्रा०/मि०ली० तक	2	4
3	500 ग्रा०/मि०ली० से ऊपर	4	6

#### सारणी - II

#### संख्या की न्यूनतम ऊँचाई

क्र० सं०	लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या में	न्यूनतम ऊँचाई मि० मी० में
----------	----------------------------------	---------------------------



	न्यूनतम शुद्ध मात्रा, प्रधान संप्रदर्शन पैनल का क्षेत्रफल		
		सामान्य दशा	जब अधान पर धमित, अभिरूपित ढाली गई, उच्चित्रित या छिद्रित की गई हो।
1	100 सें0 मी0 वर्ग तक	1	2
2	100 सें0मी0 वर्ग से ऊपर और 500 सें0 मी0 तक	2	4
3	500 सें0 मी0 से ऊपर और 2500 सें0मी0 वर्ग तक	4	6
4	2500 सें0 मी0 वर्ग से ऊपर	6	6

(4) उप नियम (1) से (3) के तहत उपबंध किसी ऐसे पैकेज को उस दशा में लागू नहीं होंगे जब इस नियम के अधीन ऐसे पैकेज पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली जानकारी, तत्समय किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन भी दी जानी अपेक्षित है।

#### 8. घोषणा कहां लगी होगी:-

(1) इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक घोषणा प्रधान संप्रदर्शन पैनल पर लगाई जाएगी।

परन्तु मात्रा की घोषणा के आस-पास क्षेत्र मुद्रित सूचना से मुक्त होगा।

(क) ऊपर और नीचे कम से कम घोषणा में की संख्या की ऊँचाई के बराबर स्थान, और

(ख) दाएं और बाएं कम से कम घोषणा में की संख्या की ऊँचाई के दुगने स्थान, का क्षेत्र मुद्रित सूचना से मुक्त रखा जाएगा।

(2) साफ्ट ड्रिंक, रेडी टू सर्व फ्रूट बीवरेजज या इसी प्रकार की बोटल जो उपभोक्ता द्वारा पुनः भरने के लिए वापिस की जाती है, फुटकर विक्रय मूल्य या तो क्राऊन कैप पर अंकित किए जाएं, अथवा बोटल पर अथवा दोनों पर और यदि फुटकर विक्रय मूल्य क्राऊन कैप अथवा बोटल पर अंकित होते हैं, तो यह फुटकर विक्रय मूल्य को एम0 आर0 पी0 रु...../ ₹..... में अंकित करना पर्याप्त होगा।

9. घोषणा की रीति - (1) इन नियमों अधीन किसी पैकेज पर किए जाने के लिए अपेक्षित हर घोषणा ---

(क) सुपाठ्य, और बड़े अक्षरों में;

(ख) फुटकर विक्रय मूल्य और शुद्ध मात्रा की संख्या की घोषणा पैकेज पर ऐसे रंग में मुद्रित, पेंट की गई अथवा अंकित की गई जो कि लेबल की पृष्ठभूमि से स्पष्टतया पृथक होगी; परन्तु कि:

(क) जहां कोई लेबल पर जानकारी किसी कांच या प्लास्टिक के तल पर धमित, अभिरूपित अथवा ढाली गई हो, वहां ऐसी जानकारी की भिन्न रंग में उपदर्शित किए जाने की अपेक्षा नहीं होगी;

(ख) जहां किसी पैकेज पर कोई घोषणा या तो हस्तलिखित या हस्तलिपि के रूप में मुद्रित की गई हो, वहां ऐसी घोषणा स्वरूप, असंदिग्ध और सुपाठ्य होगी।

(2) ऐसी घोषणा नहीं की जाएगी जिसे पैकेज में अंतर्विष्ट किसी तरल वस्तु के माध्यम से पढ़े जाने की अपेक्षा हो।

(3) जहां किसी पैकेज के बाह्य आद्यान या अविष्टन की व्यवस्था की गई हो वहां, ऐसे आद्यान अथवा अविष्टन पर वे सभी घोषणाएं होंगी जो पैकेज पर प्रकट होनी अपेक्षित हो, ऐसे आद्यान अथवा अविष्टन जो स्वयं पारदर्शी हो, के सिवाय, और पैकेज पर इन घोषणाओं को ऐसे अविष्टन के माध्यम से आसानी से पढ़ा जा सके।

परन्तु इन नियमों के अधीन यथापेक्षित अंतः पैकेज पर ऐसी किसी घोषणा की अपेक्षा नहीं होगी, यदि अंतः पैकेज में बाह्य आद्यान पर कोई घोषणा अंतर्विष्ट नहीं है।

(4) किसी पैकेज पर इस नियम के अधीन विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणा की विशिष्टियां या तो देवनागरी लिपि में हिन्दी या अंग्रेजी में होगी:

परन्तु इस उपनियम के निहित कोई बात हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा के प्रयोग को निवारित नहीं करेगी।

10. विनिर्माता, आदि के नाम और पते की घोषणा - (1) नियम (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए विक्रय के लिए रखे गए, प्रस्तुत या छोड़े गए या बेचे गए प्रत्येक पैकेज पर विनिर्माता का नाम और पूरा पता या जहां विनिर्माता पैककर्ता नहीं हैं, वहां विनिर्माता और पैककर्ता का नाम और पता और आयातित पैकेजों के मामले में आयातकर्ता का नाम और पता पैकेज पर सहत दृश्य रूप में होगा:

परन्तु 5 क्यूबिक से० मी० या उससे कम की क्षमता के पैकेजों के लिए, इस उप नियम की यह पर्याप्त अनुपालन होगी, यदि कोई ऐसा चिन्ह या लेख जिससे उपभोक्ता विनिर्माता या पैककर्ता की पहचान करने में समर्थ हो, जो भी मामला हो, पैकेज पर लगाया जाता है:

परन्तु यह और कि जहां कोई वस्तु भारत से बाहर निर्मित की जाती है और भारत में पैक की जाती है, वहां पैकेज पर भारत में पैककर्ता अथवा आयातकर्ता का नाम और पूरा पता प्रधान संप्रदर्शन पैनल

पर भी होगा।

स्पष्टीकरण - इस उप नियम में, "पूरा पता" से अभिप्रेत है, पूरा पता जहां फैक्टरी स्थित है, और कोई अन्य मामले में, सड़क का नाम, विनिर्माता अथवा पैकर में परिसरों को दिए गए संख्यक (यदि कोई हो) अथवा या तो शहर और राज्य का नाम जहां जहां पर कारोबार विनिर्माता अथवा पैककर्ता द्वारा बनाया जाता है अथवा पिनकोड ताकि उपभोक्ता विनिर्माता अथवा पैकर अथवा आयातकर्ता का, जैसा भी मामला हो, का नाम पहचान और पता लगा सके।

(2) विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता का नाम वास्तविक निगमित नाम होना चाहिए अथवा यदि वह निगमित नहीं है तो वह नाम होगा जिसके अधीन भारत में ऐसे विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता द्वारा व्यवसाय चलाया जाता है।

11. मात्रा की घोषणा के संबंध में सामान्य उपबंध - (1) किसी पैकेज में अनन्तर्विष्ट वस्तु की शुद्ध मात्रा की घोषणा करने में, अविष्टनों और वस्तु में भिन्न अन्य सामग्रियों का वजन निकाल दिया जाएगा।

(2) जहां पैकेज में रखी गई वस्तु के तोल या माप में पर्यावरणीय दशाओं के कारण कोई परिवर्तन होने की संभावना न हो, वहां पैकेज पर घोषित मात्रा उस शुद्ध मात्रा के बराबर होगी जो उपभोक्ता को प्राप्त होगी, और ऐसे पैकेज पर वस्तु की मात्रा की घोषणा पैक करने के समय और ऐसे ही शब्दों को जोड़ा नहीं जाएगा।

(3) उपनियम (4) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, जहां पैकेज में रखी किसी वस्तु के तोल और माप में पर्यावरणीय दशाओं के कारण परिवर्तन होने की संभावना हो और ऐसा परिवर्तन नगण्य हो, ऐसे पैकेज के संबंध में मात्रा की घोषणा ऐसे परिवर्तन को ध्यान में रखने के पश्चात की जाएगी जिससे कि उपभोक्ता को पैकेज पर घोषित वस्तु की शुद्ध मात्रा से कम प्राप्त न हो और ऐसे पैकेज पर भी मात्रा की घोषणा भी "पैक करने के समय" या ऐसे ही शब्द नहीं जोड़े जाएंगे।

(4) ऐसी वस्तुओं के संबंध में मात्रा की घोषणा पर्यावरणीय दशाओं या अन्य दशाओं के कारण महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की संभावना हो, को "पैक करने के समय" शब्दों द्वारा विशेषित किया जाएगा यथा तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

12. मात्रा की घोषणा अभिव्यक्त किए जाने की रीति - (1) मात्रा की घोषणा, तोल, माप या संख्या या तोल, माप या संख्या के ऐसे संयोजन से अभिव्यक्त की जाएगी जो पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के संबंध में उपभोक्ता को सही और पर्याप्त जानकारी दे।

(2) चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के सिवाय मात्रा की घोषणा निम्नलिखित इकाईयों में होगी :-

- (क) द्रव्यमान, यदि वस्तु ठोस, अर्द्ध ठोस, विस्कासी या ठोस और तरल का मिश्रण है;
- (ख) लम्बाई, यदि वस्तु रेखिक आकार के अनुसार बेची जाती है;
- (ग) क्षेत्र, यदि वस्तु खेत्रीय माप के अनुसार बेची जाती है;

- (घ) आयतन, यदि वस्तु तरल हो अथवा क्यूबिक माप के अनुसार बेची जाती है अथवा;  
 (ङ.) संख्या, यदि वस्तु संख्या के अनुसार बेची जाती है।

(3) जहां मात्रा की घोषणा द्रव्यमान के अनुसार की गई हो वहीं निर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा, यथास्थिति, पैककर्ता अपने विकल्प पर पैकेज में अन्तर्निष्ठ वस्तु की संख्या की बावत अतिरिक्त घोषणा कर सकेगा।

(4) जहां केवल तोल अथवा माप या संख्या के अनुसार मात्रा की घोषणा पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की विमा या संख्या की बावत पूर्ण जानकारी उपभोक्ता को देने के लिए पर्याप्त न हो, वहां ऐसी घोषणा के साथ जहां आवश्यक हो पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की विमा या संख्या या दोनों की घोषणा भी होगी।

(5) जहां पैकेज के अन्तर्विष्ट वस्तु के बारे में उपभोक्ता को कोई अतिरिक्त जानकारी देने की आवश्यकता हो, वहां ऐसी जानकारी भी उसी पैक पर प्रकट की जाएगी जिस पर इन नियमों द्वारा यथा अपेक्षित अन्य जानकारी उपदर्शित की गई हो।

(6) मात्रा की घोषणा में ऐसा कोई शब्द या पद अन्तर्विष्ट नहीं होगा, जिससे पैकेज में अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में बढ़ा चढ़ा कर भ्रामक या अपर्याप्त प्रभाव पड़े, उदाहरणार्थ न्यूनतम, से कम नहीं, औसत, लगभग, अनुमानतः या इसी प्रकार का कोई अन्य शब्द।

(7) 5 क्यूबिक से० मी० या उससे कम क्षमता वाले पैकेजों के लिए मात्रा की घोषणा आद्यान पर लगाए गए टैग, कार्ड, फीते या वैसी ही किसी अन्य चीज पर ऐसी रीति में की जायेगी जिसे आद्यान को खोले बिना हटाया न जा सकता हो और ऐसे प्रत्येक टैग, कार्ड, फीते या अन्य चीज पर ऐसा कोई चिन्ह या लेखा होगा जिससे उपभोक्ता, यथास्थिति विनिर्माता या पैककर्ता की पहचान करने में समर्थ हो सके।

13. बाट, माप तथा संख्या में यूनिटों का विवरण - (1) बाट अथवा माप अथवा संख्या की इकाई यथास्थिति उप नियम (2) अथवा उप नियम (3) में विनिर्दिष्ट यूनिटों के अनुसार विनिर्दिष्ट होंगे।

(2) जब निम्न से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो -

(क) एक किलोग्राम से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तब भार का इकाई ग्राम होगी;

(ख) एक मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो लम्बाई का यूनिट सेंटीमीटर होगा;

(ग) एक वर्ग मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो क्षेत्रफल का यूनिट वर्ग डेसिमीटर होगा;

(घ) एक क्यूबिक मीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट एक क्यूबिक सेंटीमीटर होगा;

- (ड.) एक क्यूबिक डेसीमीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर होगा;
- (च) एक लीटर से कम मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो आयतन का यूनिट मिली लीटर होगा;
- (3) जब निम्नलिखित के समतुल्य या उससे अधिक मात्रा अभिव्यक्त की जाए तो -
- (क) एक किलोग्राम, तो भार का यूनिट किलोग्राम होगा और किलोग्राम के अंश, किलोग्राम के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;
- (ख) एक मीटर जो लम्बाई की यूनिट मीटर होगी और मीटर को अंश दशमलवी उपगुणकों के अथवा सेंटीमीटर में अभिव्यक्त किए जाएंगे;
- (ग) वर्ग मीटर, क्षेत्रफल की यूनिट वर्ग मीटर होगी और वर्गमीटर के अंश, वर्गमीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;
- (घ) क्यूबिक मीटर, आयतन का यूनिट क्यूबिक मीटर होगा और क्यूबिक मीटर के अंश, क्यूबिक मीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे;
- (ड.) एक लीटर, आयतन का यूनिट लीटर होगा और लीटर का कोई अंश, लीटर के दशमलवी उपगुणकों के अनुसार अभिव्यक्त किए जाएंगे:

परन्तु जहां अभिव्यक्त की जाने वाली मात्रा, यथास्थिति एक किलोग्राम, एक मीटर, एक वर्ग मीटर, एक क्यूबिक डेसीमीटर, एक क्यूबिक मीटर अथवा एक लीटर के समतुल्य है, वहां ऐसी मात्रा से विनिर्माता या पैककर्ता या आयातकर्ता के विवेकानुसार ग्राम, यथास्थिति, सेंटीमीटर, वर्ग डेसीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक डेसीमीटर या मिली मीटर के अनुसार अभिव्यक्त की जा सकती है।

(4) किसी भी पैकेज पर कोई दर्जन, स्कोर, ग्रस, ग्रेट ग्रस या इसी प्रकार की किसी भी संख्या को विनिर्दिष्ट या उपदर्शित नहीं किया जाएगा।

(5) यूनिटों के प्रतीक:- (i) पैकेज की शुद्ध मात्रा देने में अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के एस आई यूनिटों के प्रतीक का प्रयोग किया जाएगा, किसी अन्य प्रतीक का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

(ii) संख्या द्वारा बेची गई मर्दों के लिए प्रतीक एन अथवा यू होना चाहिए।

14. कुछ वस्तुओं की लम्बाई चौड़ाई के संबंध में घोषणाएं - जब किस पैकेज में वस्तुएं जैसे बैड शीट, धारीदार फैब्रिक सामग्री, धोतियां, साड़ियां, नेपकिन तकियों के कवर, तौलिए, टेबल क्लथ या अन्य ऐसी वस्तुएं हो तो ऐसी वस्तुओं के तैयार किए गए आकार की विमा और संख्या पैकेज पर अथवा उन पर लगाए गए लेबल पर घोषित की जाएगी।

परन्तु जहां पैकेज में विभिन्न विमा की मर्दें एक से अधिक हों वहां पैकेज पर ऐसी प्रत्येक मर्द की विमा और खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा भी रहेगी

परन्तु यह और कि वस्तुओं की विमा और उनके खुदरा विक्रय मूल्य प्रत्येक मद पर भी अंकित होंगे।

15. कतिपय मामलों में पैकेजों पर विमा और भार के संबंध में घोषणाएं - जहां किसी वस्तु की विमा और भार या दोनों के समुच्चय का संबंध वस्तु की कीमत से हो तो ऐसी वस्तु से युक्त पैकेज पर मात्रा की घोषणा के साथ ऐसी विमा, भार या उनके समुच्चय की घोषणा भी रहेगी।

16. प्रयोग योग्य शीटों की संख्या की बावत की जाने वाली घोषणाएं बताई जाएं - ऐसे पैकेज के मामले में जिनमें एल्युमिनियम फायल, फैशियल, टिश्यू, वैक्सड कागज, टायलट कागज या कोई अन्य प्रकार की शीटें हो वहां पैकेज पर मात्रा की बावत की जाने वाली घोषणा के अतिरिक्त पैकेज में रखी गई प्रयोग योग्य शीटों की संख्या और ऐसी प्रत्येक शीट की विमा का विवरण भी रहेगा।

17. आद्यान के किस्म की वस्तुओं की विमा के बारे में घोषणा कैसे अभिव्यक्त की जाए- अन्य वस्तुओं या पदार्थों के आद्यान के रूप में उपयोग किये जाने के लिए फुटकर व्यापार में विक्रय के लिए बनाई और बेची गई वस्तुएं जैसे थैले, संदूक, कप, तसल्ले या इसी प्रकार की अन्य चीजों पर उनकी मात्रा क्षमता की घोषणा की पर्ची निम्नलिखित रूप में लगाई जायेगी:-

(i) थैले की किस्म की वस्तुओं के लिए, आद्यानों में रखे जाने वाले थैलों के थैलों की रेखिक विमा सहित चाहे वह छिद्रित रोल अथवा अन्यथा पैकेज में बंद किए गए हो;

(ii) वर्गाकार, ओबलाग, आयताकार या इसी प्रकार की आकृति वाले आद्यान उनमें अन्तर्विष्ट किये जाने वाले आद्यानों की संख्या के आधार पर लंबाई, चौड़ाई और यदि आवश्यक हो तो उसकी गहराई सहित;

(iii) गोलाकार अथवा सामान्यतः गोल आकार आद्यान, परन्तु इनमें कप नहीं अथवा उनमें अन्तर्विष्ट की जाने वाली वस्तुओं की संख्या के अनुसार, आद्यान के व्यास सहित यदि आवश्यक हो तो गहराई सहित;

(iv) जब आद्यान के उपयोग का संबंध पर्ची सन्दर्भों से है तो मानक बाट अथवा माप के साथ किसी वस्तु या वस्तुओं के वर्ग को धारित करने की आद्यान की क्षमता के साथ जोड़ा गया हो तो ऐसे सन्दर्भों को उस परिमाण की घोषणा में सम्मिलित किया जाएगा।

18. थोक व्यापारियों और फुटकर व्यापारियों के बारे में उपबंध (1) कोई भी थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी अथवा आयातकर्ता किसी भी पैकेज बंद वस्तु को वितरण, परिदान, प्रदर्शन या विक्रय के लिए भंडार तब तक नहीं करेगा जब तक पैकेज सब तरह से अधिनियम और इन नियमों के उपबंध के अनुरूप न हो।

(2) कोई फुटकर व्यापारी अथवा अन्य व्यक्ति, विनिर्माता, पैकर, आयातकर्ता और थोक विक्रेता व्यापारी सहित किसी भी पैकेज में रखी गई वस्तु का विक्रय पैकेज के फुटकर विक्रय कीमत के अधिक पर नहीं करेगा।

(3) जहां विक्रय के लिए कसी वस्तु के पूर्व पैकेज बन्द किये जाने के पश्चात ऐसी वस्तु की

बावत संदेय कोई कर संशोधित कर दिया जाता है, वहाँ फुटकर व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति, ऐसी वस्तु का फुटकर विक्रय विनिर्माता या जहाँ विनिर्माता पैकर नहीं है, पैकर द्वारा फुटकर विक्रय कीमत से अधिक कीमत पर नहीं करेगा; और यथास्थिति विनिर्माता या पैकर का यह कर्तव्य हागा कि एक या अधिक समाचार पत्रों से कम से कम दो विज्ञापन देकर और व्यौहारियों को सूचना के परिपत्र द्वारा भी केन्द्रीय सरकार में निदेशक तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र क नियंत्रक, विधिक माप विज्ञान को सूचना भेजकर ऐसे पैकेजों को पुनरीक्षित कीमत उपदर्शित करें किन्तु पैकेज पर अंकित कीमत और पुनरीक्षित कीमत में अंतर किसी भी दशा में बढ़ाये गये कर की सीमा तक या जहाँ नया कर अधिरोपित किया गया हो उसे अधिरोपित नये कर की रकम से अधिक नहीं होगा:

परन्तु किसी समाचार पत्र में ऐसी संशोधित कीमत का प्रकाशन वहाँ आवश्यक नहीं होगा जहाँ राज्य विधान मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन संदेय किसी कर के अधिरोपित या वृद्धि के कारण हुई है:

परन्तु यह और कि फुटकर व्यौहारी या कोई अन्य व्यक्ति उन पैकेजों के भिन्न किसी पैकेज की बावत ऐसी पुनरीक्षित कीमत प्रभारित नहीं करेगा जिन पर ऐसे चिन्ह हैं जो यह उपदर्शित करते हैं कि वे कर में वृद्धि या नये कर अधिरोपित किये जाने वाले मास में या पूर्वोक्त मास से ठीक आगामी मास में पूर्व पैकेज बन्द किये गये थे;

परन्तु यह और भी कि जहाँ पुनरीक्षित कीमत पैकेज पर अंकित कीमत से कम हो वहाँ फुटकर या अन्य व्यक्ति जिस मास में वह वस्तु पैकेज बन्द की गई थी उस पर ध्यान दिये जाये बिना, पुनरीक्षित कीमत से अधिक कीमत प्रभारित नहीं करेगा।

(4) उप नियम (3) की कोई बात पैकेज पर लागू होगी जिन पर इन नियमों के अधीन उसके पैकेज बन्द किये जाने का मास और वर्ष उपदर्शित किये जाने की अपेक्षा न की गई हो।

(5) कोई भी व्यौहारी या अन्य व्यक्ति यथास्थिति पैकेज या उस पर लगाये गये लेबल पर विनिर्माता या पैकर अथवा आयातकर्ता द्वारा उपदर्शित विक्रय कीमत को कम अधिक या परिवर्तित नहीं करेगा।

(6) विनिर्माता अथवा पैकर अथवा आयातकर्ता पैकिंग के लिए एक बार मुद्रित अथवा प्रयुक्त अवेष्टन पर कीमत को परिवर्तित नहीं करेगा।

(7) सभी फुटकर विक्रेता जो मूल्य वृद्धि कर (वेट) अथवा टर्न ओवर टैक्स (टी ओ टी) के तहत कवर किए गए हैं और पैकबंद वस्तुओं का व्यवसाय करते हैं और जिनकी वस्तुओं की शुद्ध मात्रा की घोषणा बाट अथवा आयतन अथवा उनके समुच्चय द्वारा की जाती है वे कम से कम यथार्थता वर्ग III वाली इलैक्ट्रॉनिक वेईंग मशीन, जिसमें कम से कम 1 ग्राम की सबसे छोटी डिविजन, सकल मात्रा, मूल्य और ऐसी ही अन्य चीजों को दर्शाने वाली तथा मुद्रित रसीद जारी करने की सुविधा वाली

तौलने की मशीन अपने फुटकर परिसरों में ऐसे प्रमुख स्थान पर रखेंगे जो उपभोक्ताओं को लाभ के लिए निशुल्क होगी और उपभोक्ता ऐसी दुकान से खरीदी गई अपनी पैकबंद वस्तुओं के वजन को ऐसी मशीनों पर जांच कर सकते हैं।

19. विनिर्माता या पैकर के परिसर में पैकेजों की मात्रा और त्रुटियों का निरीक्षण— (1) इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कोई पैकेज या पैकेज समूह सब तरह से इन नियमों के उपबंधों के अनुरूप है या नहीं, अधिनियम की धारा 15 के अधीन निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी (जिन्हें इन नियमों में इसके पश्चात प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) विनिर्माता के परिसर में या जहां विनिर्माता पैकर नहीं है पैकर के परिसर में पैकेजों की परीक्षा और परीक्षण कर सकता है और जब वह ऐसी परीक्षा या परीक्षण कर रहा हो तो वह ऐसे पैकेज समूह में से ऐसी रीति में और ऐसी संख्या में नमूने निकालेगा जो पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और परीक्षण छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में किये जायेंगे।

(2) निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किये गये परीक्षण का परिणाम सविस्तार सातवीं अनुसूची में अधिकथित प्ररूप में दर्ज करेगा और उस प्ररूप पर यथास्थिति विनिर्माता या पैकर के या प्राधिकृत अभिकर्ता या दोनों की अनुपस्थिति में या हस्ताक्षर देने से इन्कार करने की दशा में किसी सक्षम साक्षयी का हस्ताक्षर लेगा। परिणाम अन्तर्विष्ट करने वाले आंकड़ा-पत्र की एक प्रति यथास्थिति विनिर्माता या पैकर को दी जायेगी।

(3) उप नियम (1) के अधीन ली जाने वाली परीक्षा और परीक्षणों के पूर्ण होने पर, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें वह इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित घोषणाओं और नमूना पैकेजों में समाविष्ट वास्तविक शुद्ध मात्रा तथा त्रुटि की सीमा, यदि कोई हो, जो उसके द्वार देखी गई हो, के लिए अपने निष्कर्ष उपदर्शित करेगा तथा उस रिपोर्ट की एक प्रति यथास्थिति विनिर्माता या पैकर को देगा।

(4) यदि उप नियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में ऐसा प्रतीत हो कि—

(क) नमूनों के रूप में लिए गये पैकेजों के समाविष्ट शुद्ध मात्रा की औसत सांख्यिकी, पैकेज पर या उस पर निपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा से कम है; या

(ख) ऐसा कोई पैकेज, जो अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक न्यूनता त्रुटि दर्शित करता है, तो निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अच्छे और पर्याप्त कारण से विनिर्माता या पैकर या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा ऐसा करने के लिए निवेदन किये जाने पर, यावत शक्य शीघ्र इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नये नमूने लेगा और नये सिरे से परीक्षण करेगा तथा जहां नये सिरे से परीक्षण किये गये हों, वहां यथास्थिति, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी विनिर्माता या पैकर से, फीस के रूप में दो हजार पाँच सौ रुपये नये सिरे से परीक्षण करने



के लिए संग्रहण करेगा।

परन्तु जहां नये सिरे से परीक्षण किये गए हो, वहां उस लॉट में समाविष्ट कोई भी पैकेज जिसकी पहले इस नियम के अधीन परीक्षा की गई थी, विनिर्माता या पैकर उसका विक्रय या वितरण नहीं करेगा जब तक कि यथास्थिति, उपनियम (5) या उपनियम (6) के उपबंधों का पालन नहीं किया गया हो।

(5) (क) जहां, इस नियम के अधीन किए गए किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप, यह पाया गया है कि उस लॉट में समाविष्ट कोई पैकेज अधिनियम की किसी उपबंध अथवा उपबंधों के अनुरूप नहीं है तो, विनिर्माता अथवा पैकर लॉट में निहित सभी पैकेजों की शतप्रतिशत जांच करेगा और उस लॉट में से ऐसी पैकेज चुन लेगा जो इस अधिनियम और इन नियमों के सभी उपबंधों के अनुरूप है।

(ख) जहां निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी का समाधान हो जाये की विनिर्माता या पैकर द्वारा चुने गये पैकेज इस अधिनियम या इन नियमों के अनुरूप हो तो वह इन पैकेजों का विक्रय, वितरण या परिदान प्राधिकृत करेगा।

(ग) जहां विक्रेता अथवा पैकर द्वारा ऐसी शतप्रतिशत जांच के परिणामस्वरूप कोई पैकेज इस अधिनियम या इन नियमों के सभी अथवा किसी उपबंध के अनुरूप न यपाया जाये तो ऐसा पैकेज तब तक विक्रय, वितरित या परिदत्त नहीं किया जाएगा, जब तक उसे यथास्थिति इस अधिनियम या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार पुनः पैक, पुनःसंसाधित या पुनः लेबल न किय गया हो।

(6) पैकेजों का को लॉट विक्रय के लिए केवल तभी अनुमदित किया जाएगा जब इस नियम के अधीन किये गये परीक्षणों के परिणाम स्वरूप या पाया जाए कि (क) नमूना पैकेज में समाविष्ट शुद्ध मात्रा की सांख्यिकीय औसत, पैकेज पर या उस पर चिपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा के बराबर है या उससे अधिक है।

(ख) ऐसा नमूना पैकेजों में से किसी से न्यूनता में त्रुटि की सीमा, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक नहीं है।

(ग) ऐसे प्रत्येक पैकेज पर या इस पर चिपकाये गए लेबल पर इन नियमों के अधीन किए जाने के लिए अपेक्षित घोषणायें होंगी।

(7) पैकेजों पर अनिवार्य घोषणाओं की अपेक्षा फैक्टरी स्तर पर अथवा फैक्टरी के डिपो पर सुनिश्चित की जानी चाहिए।

(8) इन नियम के उपबंधों का अनुपालन न करने पर इन पैकेजों के पाँच प्रतिनिधिक नमूनों को पकड़ कर साक्ष्य के रूप में कार्रवाई की जा सकती है और शेष पैकेजों को यथास्थिति विनिर्माता अथवा पैकर द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किए जाने पर पैकेजों को जारी किया जाएगा।

20. विनिर्माता या पैकर के परिसरों पर पैकेजों की परीक्षा पूर्ण होने पर की जाने वाली कार्रवाई:-

(1) यदि नियम 19 के उपनियम (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट से यह प्रतीत होता है कि --

(क) इस नियम के अधीन नमूनों के रूप में लिए गये पैकेजों में निहित शुद्ध मात्रा के सांख्यिकीय औसत, पैकेजों पर या उन पर चिपकाये गये लेबलों पर घोषित मात्रा से कम है, य ऐसे किसी पैकेज में दिखाई गई न्यूनता त्रुटि अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है, अथवा

(ख) किसी पैकेज पर या उस पर चिपकाये गये लेबल पर, इन नियमों के अधीन की जाने वाली घोषणाएं नहीं हैं, निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी निम्नानुसार कार्रवाई कर सकता है नामतः-

(i) उसके द्वारा नमूनों के रूप में लिए गए पैकेजों को अधिग्रहित कर सकता है और अधिग्रहित किए गए नमूनों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा जब तक कि वे साक्ष्य के रूप में उपयुक्त कोर्ट में पेश नहीं किए जाते।

(ii) अधिनियमों के उपबंधों और इन नियमों के उल्लंघन के लिए साक्ष्य प्रारम्भिक कार्रवाई के आधार पर:

परन्तु यदि नियम 19 के उपनियम (4) के अधीन नये सिरे से परीक्षण किये गये हो तो कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जाएगी, परन्तु यदि ऐसे नये परीक्षणों के पश्चात इस उपनियम में यथा प्रतिनिर्दिष्ट किसी त्रुटि अथवा भूल का पता लगा हो तो निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी यथा स्थिति विनिर्माता या पैकर के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकता है।

(3) अधिग्रहित पैकेजों व्ययन अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

21. थोक व्यौहारी या फुटकर व्यौहारी के परिसरों पर पैकेजों की मात्रा और त्रुटि की निरीक्षण

(1) साधारणतया, किसी पैकेज में अन्तर्हित शुद्ध मात्रा से संबंधित कोई परीक्षण फुटकर व्यौहारी या थोक व्यौहारी के परिसर पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि-

(i) निदेशक, अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी को इस आशय की कोई शिकायत न प्राप्त हुई हो कि शिकायतकर्ता को विक्रय किये गये या परिदत्त किये गये किसी पैकेज में, उस पर या इस पर चिपकाये गये लेबल पर घोषित मात्रा से कम है।

(ii) निदेशक अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी पैकेज के साथ छेड़खानी की गई है या पैकेज में अन्तर्निहित वस्तु की कोई चोरी या परिसन हुई है

(iii) निदेशक अथवा नियंत्रक या कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी पैकेज अथवा उस पर चिपकाये गए किसी लेबल पर, इन नियमों के अधीन बनाये जाने के

लिए अपेक्षित सभी या उनमें से कोई घोषणा नहीं है।

(2) जहां उपनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में कोई परीक्षण किया गया हो वहां निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधिक मापविज्ञान अधिकारी यह सत्यापित करेगा कि उस पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा उस पैकेज या उस पर पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा उस पैकेज या उस पर चिपकाये गए लेबल पर घोषित मात्रा के अनुरूप है या नहीं और जहां और जहां पैकेज में अंतर्निहित मात्रा घोषित मात्रा से कम हो कि न्यूनता उस वस्तु के संबंध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है या नहीं।

(3) जहां निदेशक नियंत्रक या विधिक मापविज्ञान अधिकारी इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि फुटकर या थोक व्यापारी के परिसर पर विक्रय, वितरण या परिदान के लिए रखे या भण्डारकृत किये गये किसी पैकेज में न्यूनता त्रुटि उस वस्तु के संबंध में अधिक अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक है तो वह उस पैकेज को अभिग्रहित कर लेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में यथास्थिति फुटकर या थोक व्यापारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेगा।

परन्तु जहां पैकेज पर जब पैक किया गया आख्यान लिखा हो तो यदि निदेशक या नियंत्रक मापविज्ञान अधिकारी का आवश्यक परीक्षणों के पश्चात यह समाधान हो जाय कि पैकेज में अन्तर्निहित मात्रा में त्रुटि पर्यावरणी दशाओं में के कारण है तो वैसे फुटकर या थोक व्यापारी के विरुद्ध कोई दण्डिक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

(4) जहां, इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि पैकेज में अन्तर्निहित शुद्ध मात्रा घोषित मात्रा के अनुरूप है या जहां न्यूनता हो, ऐसी न्यूनता, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से अधिक नहीं है तो फुटकर व्यापारी ऐसे परीक्षणों में पाई गई मात्रा के आधार पर अवधारित कीमत पर उस वस्तु को विक्रया या परिदत्त या वितरित करने के लिए स्वतंत्र है।

(5) जहां, इस नियम के अधीन किये गये किसी परीक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया जाये कि पैकेज या उस पर चिपकाये गये लेबल पर इन नियमों के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित सभी या कोई घोषणायें नहीं हैं तो निदेशक या नियंत्रक अथवा विधिक मापविज्ञान अधिकारी के लिए ऐसी जांच जैसे कि वह स्रोत जिससे वह पैकेज थोक व्यापारी या फुटकर व्यापारी ने प्राप्त किया यथास्थिति जैसी वह उचित समझे करना वैध होगा।

22. पैकेजों पर अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की स्थापना:-

(1) वस्तुओं के संबंध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि वह होगी जो प्रथम अनुसूची में अंकित की गई है।

(2) पैकेजों में रखी गई वस्तुओं के संबंध में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि स्थापित करते समय, मात्रा में फेरबदल करने वाले निम्नलिखित कारणों की ओर सम्यक ध्यान दिया जाना चाहिए, अर्थात:-

(क) अच्छी पैकिंग पद्धति के दौरान अलग अलग पैकेजों में रखी गई अर्न्तवस्तुओं के भार, मापन अथवा गणना में हुए अपरिहार्य परिवर्तन द्वारा हुई फेरबदल;

(ख) सामान्य और रुढिगत अनावृत अवस्थाओं जैसे वातावरण, परिवहन, भण्डारण या किसी इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण हुई फेरफार जी व्यवसाय या वाणिज्य के वस्तुओं के जाने के पश्चात अच्छी वितरण पद्धति के दौरान सामान्यतः हो जाती है; और

(ग) पैकिंग सामग्री या आद्यान की प्रकृति के कारण हुई फेरफार।

(3) निदेशक, नियंत्रक या माप विधिक विज्ञान अधिकारी किसी वस्तु के बारे में, उसकी शुद्ध मात्रा की बावत जो "जब पैक किया गया" शब्दों द्वारा सीमित होगी, जिसमें वातावरणीय परिस्थितियों के कारण युक्तियुक्त परिवर्तन की संभावना होगी, घोषणा का अवधारण करेगा या कराएगा।

23. त्रुटिपूर्ण पैकेजों का फिर से पैक किया जाना या ऐसा न करने पर उनका अभिग्रहण किया जाना:-

(1) यदि नमूना पैकेजों में रखी गई शुद्ध मात्रा का अवधारण करने पर, निदेशक या नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी यह पाता है कि पैकेजों में रखी गई वस्तु की मात्रा, पैकेज या उस पर चिपकाए गए लेबल पर घोषित मात्रा के अनुरूप है और पैकेज त्रुटिपूर्ण है तो वह विनिर्माता या पैकर से अपेक्षा करेगा कि वह उस पैकेज को फिर से पैक करे या उस पर फिर से लेबल लगाए और यदि यथास्थिति, विनिर्माता या पैकर उसे त्रुटिपूर्ण पैकेज को इन नियमों द्वारा या उनके अधीन स्थापित मानकों अनुसार फिर से पैक करने या या फिर से लेबल लगाने में असफल रहता है तो वह उनका अभिग्रहण करेगा और इस अधिनियम के अनुसार उचित दाण्डिक कार्यवाही करेगा और जब तक वे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश न किए जाएं तब तक ऐसे पैकेजों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए पर्याप्त कार्यवाही करेगा।

स्पष्टीकरण: इस नियम के प्रयोजनों के लिए त्रुटिपूर्ण पैकेज से ऐसा पैकेज अभिहित है जो उपभोक्ता को उसमें अन्तर्विष्ट वस्तु की मात्रा के बारे में जानबूझकर अतिशयौकतिपूर्ण या भ्रामक आभास देता है। किन्तु यथास्थिति विनिर्माता या पैकर द्वारा बृहत्तर माप वाले पैकेज को इस आधार पर न्योचित ठहराया जा सकता है कि ऐसे पैकेज में रखी गई वस्तु को संरक्षण देने के लिए ऐसे माप आवश्यक हैं या वे ऐसे पैकेज को भरने के लिए उपयोग में लाई गई मशीन को आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है।

(2) यदि अभिग्रहित पैकेजों में कोई ऐसी वस्तु है जो शीघ्र ही या स्वाभाविक रूप से नष्ट हो सकती है तो निदेशक या नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी इस अधिनियम के अधीन बनाए

गए नियमों के अनुसार वस्तु का निपटारा कर सकेगा।

### अध्याय - III

#### थोक पैकेजों को लागू उपबंध

#### 24. प्रत्येक थोक पैकेज के बावत घोषणाएं की जाएंगी -

प्रत्येक थोक पैकेज पर सुवाच्य, निश्चित, सरल और स्पष्ट शब्दों में निम्नलिखित के बावत घोषणा की जाएगी —

- (क) विनिर्माता या आयातक का या जहां विनिर्माता या आयातक पैकर नहीं है वहां पैकर का, नाम और पता;
- (ख) पैकेज में रखी गई वस्तु की पहचान; और
- (ग) उस थोक पैकेज में रखी गई फुटकर पैकेजों की कुल संख्या, या थोक पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा को भार, माप या संख्या की मानक यूनिट में;
- परन्तु यह कि इस नियम में कुछ भी थोक मूल्य पैकेज के संबंध में लागू नहीं होगा यदि घोषणा इस नियम में घोषणाओं के अनुरूप है, तो उसे तत्समय विधि द्वारा अथवा उसके द्वारा किसी विधि के तहत ऐसे थोक विक्रय पैकेजों पर किया जाना अपेक्षित होगा।

### अध्याय - IV

#### पैकबंद वस्तुओं का निर्यात

25. भारत में निर्यात पैकेजों के विक्रय पर निर्बंधन - किसी भी निर्यात पैकेज का भारत में तब तक विक्रय नहीं किया जाएगा, जब तक विनिर्माता या पैकर उस वस्तु के अध्याय - 2 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार फिर से पैक नहीं कर देता या उन पर फिर से लेबल नहीं लगा देता और जहां ऐसी पैकिंग या लेबल के बिना निर्यात पैकेज भारत में बेचे जाते हैं तो ऐसे पैकेज का इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार अभिगहन किया जा सकता है।

### अध्याय V

#### छूट

26. कुछ पैकेजों के बारे में छूट - इन नियमों की कोई बात ऐसे पैकेज को लागू नहीं होगी जैसे कोई वस्तु यदि -

- (क) यदि भार या माप द्वारा बेचा जाए तो वस्तु का शुद्ध भार 10 ग्राम या 10 मि० ली० या उससे कम है;

परन्तु यह कि 10 ग्राम से 20 ग्राम या 10 मि० ली० से 20 मि० ली० के पैकेजों पर, अधिकतम फुटकर कीमत और शुद्ध मात्रा के संबंध में घोषणा की जायेगी,

- (ख) कोई भी पैकेज जिसमें रेस्तरां/होटल या सदृश्य द्वारा द्रुत खाद्य सामग्री पैकी गई हो;
- (ग) इसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन किए औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1955 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित विनिर्मितियां और गैर-अनुसूचित विनिर्मितियां हैं;
- (घ) 50 कि० ग्राम से ऊपर के पैकेजों में कृषि फार्म उपज।

#### अध्याय- VI

#### विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण

#### 27. विनिर्माताओं, पैकरों और आयातकों का पंजीकरण -

(1) प्रत्येक व्यक्ति, फर्म, हिन्दु अविभक्त परिवार, सोसाइटी, कंपनी या निगम, वह या जो विक्रय, वितरण या परिदान के लिए किसी वस्तु को पहले से पैक करता है या आयात करता है तो वह अपने या उसके नाम और पूरे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को पाँच सौ रुपये की फीस सहित एक आवेदन देगा और प्रत्येक ऐसा आवेदन-

(i) यदि कोई आवेदक इस नियम के लागू होते समय पूर्व पैकिंग करता है या कोई वस्तु आयात करता है, तो नियम के लागू होने के 90 दिनों के भीतर, या

(ii) यदि कोई आवेदक, वह या जो इस नियम के लागू होने के उपरान्त किसी वस्तु का पूर्व पैकिंग या आयात शुरू करता है तो पूर्व पैकिंग प्रारम्भ करने से 90 दिन की अवधि में,

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:-

(क) आवेदक का नाम;

(ख) उस परिसर का पूरा पता जिसमें आवेदनकर्ता द्वारा एक या अधिक वस्तुओं का पूर्व पैकिंग या आयात किया जाता है; और

(ग) आवेदक द्वारा पूर्व पैक की गई या आयात की गई वस्तु या वस्तुओं के नाम।

स्पष्टीकरण: इस उपनियम में "पूरा पता" का वही अर्थ है जो नियम 10 के उपनियम (i) के स्पष्टीकरण में है।

(3) उपनियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी प्रकार से किए गए परिवर्तन पर, निदेशक या नियंत्रक को संबंधित विनिर्माता या पैकर या आयातक को सौ रुपए के शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा।

(4) उप नियम (1) के तहत बने आवेदन की प्राप्ति पर निदेशक या नियंत्रक जो भी पंजीकरण प्राधिकारी होगा, को--

- (क) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण नहीं हो तो आवेदन की प्राप्ति की तारीख के 7 कार्यकारी दिवस की अवधि के भीतर उसी आवेदक को वापिस भेज दी जाएगी;
- (ख) यदि आवेदन हर प्रकार से पूर्ण हो तो आवेदक को दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र दे दिया जाएगा।

28. छोटे पते का पंजीकरण अनुज्ञेय होना - (1) विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह नियम 27 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट पूरे करने के अतिरिक्त छोटे पते के पंजीकरण के लिए निदेशक या नियंत्रक को आवेदन दे।

(2) निदेशक या नियंत्रक यदि यह जांच करने के पश्चात कि छोटे पते से भी उपभोक्ता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए विनिर्माता या पैकर की पहचान करना पर्याप्त रूप से संभव होगा, ऐसे छोटे पते का पंजीकरण कर सकता है।

(3) जां निदेशक या नियंत्रक द्वारा छोटे पते का पंजीकरण किया जाए वहां विनिर्माता या पैकर के लिए यह विधिमान्य होगा कि वह उसके द्वारा पूर्व पैक की गई प्रत्येक वस्तु के लेबल पर ऐसे छोटे पते का उल्लेख करे।

29. विनिर्माताओं और पैकरों आदि का पंजीकरण -

(1) निदेशक या नियंत्रक, इस प्रयोजन के लिए उसके द्वारा रखे गए रजिस्टर में ऐसे प्रत्येक विनिर्माता या पैकर का नाम और पूरा पता प्रविष्ट करेगा जिसमें नियम 27 के अधीन ऐसे पंजीकरण के लिए उसके पास आवेदन किया हो।

(2) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए निशुल्क खुला रहेगा।

30. विनिर्माताओं या पैकरों की सूचियों का संकलन और उनका परिचालन - निदेशक या नियंत्रक, नियम 29 के अधीन उसके द्वारा पंजीकृत सभी विनिर्माताओं और पैकरों की राज्यवार सूची संकलित करेगा और ऐसी सूची संबंधित राज्य के नियंत्रक को भेजेगा जिससे कि नियंत्रक विनिर्माता के परिसर पर अथवा जहां विनिर्माता पैकर नहीं हैं वहां पैकर के परिसर से नमूना लेने में या लिए जाने में समर्थ हो सके।

## अध्याय VII

### सामान्य

31. (i)- कोई भी विज्ञापन जिसमें पूर्व पैक वस्तु के थोक विक्रय मूल्य का निर्देश हो उसमें शुद्ध मात्रा या पैकेज में उपस्थित वस्तुओं की संख्या की घोषणा भी होनी चाहिए।

(ii) विज्ञापन में शुद्ध मात्रा का फाण्ट आकर थोक विक्रय मूल्य के समान ही होना चाहिए।

32. **नियमों का उल्लंघन करने पर दंड** - (1) जो कोई नियम 27 से 31 तक के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा, तो वह जुर्माने से, जो चार हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(ii) जो कोई किसी ऐसे अन्य नियमों के उपबंध का उल्लंघन करेगा, जिसके लिए अधिनियम में या इन नियमों में अलग से कोई दंड उपबंधित नहीं है तो वह जुर्माना से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा।

33. **शिथिल करने की शक्ति** - केन्द्रीय सरकार, आवेदन पत्र में दिए गए किसी वाद के समायोजन या न्यायालय के निर्णय की सत्यता को सुनिश्चित करने के पश्चात, किसी विनिर्माता या पैकर को विक्रय करने हेतु पैक करने के लिए इन नियमों के एक या अधिक उपबंधों को किसी अपेक्षित समय के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई करने के पश्चात, जैसा कि निर्दिष्ट हो, शिथिल कर सकेगी।

34. **निरसन और व्यावृत्तियां** - (1) बाट और माप मानक (पैकज में रखी वस्तुएं) नियम, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है। परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा :-

(क) उक्त नियमों का पूर्व प्रचालन अथवा कुछ किया गया अथवा किए जाने से तोप किया गया अथवा उसमें हुई क्षति; अथवा

(ख) उक्त नियमों के अधीन प्राप्त, प्रोदभूत अथवा उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व अथवा उत्तरदायित्व; अथवा

(ग) उक्त नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में कोई दंड, जब्ती या शास्ति; अथवा

(घ) पूर्वोक्त अनुसार ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, उत्तरदायित्व, शास्ति, जब्ती अथवा दंड के संबंध में कोई अंवेशण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय।

और ऐसा कोई अंवेशण, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय संस्थित, जारी अथवा लागू किया जाए और ऐसी कोई शास्ति, जब्ती अथवा दंड जो अधिरोपित किया जाए मानो उक्त नियमों को निरस्त नहीं किया गया।

(2) ऐसे किसी निरसन के होते हुए भी किया गया कुछ अथवा की गई ऐसी कार्रवाई अथवा किए जाने के लिए तात्पर्यित अथवा पत्र या प्रदत्त छूट, संग्रहीत फीस, कोई न्यायनिर्णयत, जांच अथवा आरंभ किया अन्वेषण, कारण बताओ नोटिस, विनिश्चय, अवधारण, अनुमोदन उक्त नियमों के अधीन जारी दिया गया अथवा किया गया प्राधिकार, विनिर्माताओं, व्यौहारियों, पैकज में रखी वस्तुओं के आयातकों की अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण यदि उक्त नियमों के प्रारंभ होने के समय प्रवृत्त है तो प्रवृत्त



रहेंगे और उसी प्रकार प्रभावी होंगे, मानो वे इन नियमों के तदनुसूची उपबंधों के अधीन जारी किए, दिए अथवा किए गए हैं।

(3) इन नियमों के उपबंध, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को किए गए किसी आवेदन को या इन नियमों के प्रारंभ पर लंबित बाट और माप की विनिर्माताओं, आयातकों, पैकज में रखी वस्तुओं के व्यौहारियों की अनुज्ञप्ति, रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों के अधीन किए गए किसी आवेदन पर तथा उसके पश्चात किसी कार्रवाई पर और उसके अनुसरण में अनुदत्त किसी रजिस्ट्रीकरण पर लागू होंगे।

(4) इन नियमों के प्रारंभ में उक्त नियमों के अधीन किसी न्यायालय में लंबित कोई विधिक कार्रवाई उस न्यायालय में उसी प्रकार जारी रह सकेगी मानो ये नियम विरचित नहीं किए गए हों।

(5) यथास्थिति उक्त नियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को की गई कोई अपील और उसका लंबित होना इन नियमों के तथस्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

**प्रथम अनुसूची**  
(नियम 2(ड.) देखिए)

1. बाट अथवा आयतन द्वारा अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियों की घोषणा --

(1) बाट अथवा आयतन के किसी वस्तु के अधिकतम या अभाव में अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां तालिका - I में विनिर्दिष्ट हैं :-

**तालिका - I**

वजन तथा आयतन द्वारा शुद्ध मात्रा पर घोषित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां

क्र०सं०	घोषित मात्रा ग्रा० या मि० ली०	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि अधिकता अथवा कमी में	
		घोषित मात्रा का प्रतिशत	ग्रा० या मि० ली०
(i)	50 तक	9	--
(ii)	50 से 100	--	4.5
(iii)	100 से 200	4.5	--
(iv)	200 से 300	--	9
(v)	300 से 500	3	--
(vi)	500 से 1000	--	15
(vii)	1000 से 10,000	1.5	--
(viii)	10,000 से 15,000	--	150
(ix)	15,000 से अधिक	1.0	--

(2) 1000 ग्रा० या मि० ली० से कम या समान की घोषित मात्रा पर और 1000 ग्राम या मि० ली० के घोषित मात्राओं को अगले पूर्ण ग्रा या मि० ली० में प्रतिशत के रूप में विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि को निकटतम ग्रा० या मि० ली० के एक दसांश में पूर्णांक किया जाना चाहिए।

2. निवल मात्रा पर लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या द्वारा अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां - (1) किसी भी वस्तु की निवल मात्रा लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या के रूप में घोषित, अधिकता या कमी में, अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, वे नीचे तालिका - II में विनिर्दिष्ट हैं -

### तालिका - II

लंबाई, क्षेत्रफल अथवा संख्या द्वारा निवल मात्रा पर घोषित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटियां -

क्र०सं०	घोषित मात्रा	अधिकत अनुज्ञेय त्रुटि अधिकता या कमी में
(i)	लंबाई के एकक में	10 मी० तक घोषित मात्रा पर 2% और उसके बाद घोषित मात्रा पर 1%
(ii)	क्षेत्रफल के एकक में	10 स्केवयर मीटर तक घोषित मात्रा पर 4% और उसके बाद घोषित मात्रा पर 1%
(iii)	संख्या में	घोषित मात्रा पर 2%

### द्वितीय अनुसूची

(नियम 5 देखिए)

विनिर्दिष्ट मात्राओं में पैक की जाने वाली वस्तुएं

निम्नलिखित वस्तुएं वजन, माप या संख्या के अनुसार ऐसी मात्रा में पैक की जाएंगी जो उनके सामने दी गई तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट हैं।

क्र०सं०	वस्तुएं	वे मात्रा जिनमें पैक की जाएंगी
1.	2.	3.
1.	बाल आहार	100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 300 ग्रा०, 400 ग्रा०, 500 ग्रा०, 600 ग्रा०, 700 ग्रा०, 800 ग्रा०, 900 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा०, और 10 कि० ग्रा०
2.	छोटे बच्चे का आहार	100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 300 ग्रा०, 400 ग्रा०, 500 ग्रा०, 600 ग्रा०, 700 ग्रा०, 800 ग्रा०, 900 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि०

		ग्रा०, 5 कि० ग्रा०, और 10 कि० ग्रा०
3.	बिस्कुट	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 75 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 250 ग्रा०, 300 ग्रा० और तत्पश्चात 1 कि० ग्रा० तक 100 ग्रा० के गुणकों में
4.	ब्रेड जिसके अंतर्गत ब्राउन ब्रेड भी है, किन्तु बन नहीं है।	100 ग्रा० और तत्पश्चात 100 ग्राम के गुणजों में।
5.	मक्खन और मार्गरीन के टिन बंद रहित पैकेज	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 300 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा० और तत्पश्चात के गुणजों में।
6.	अनाज और दाल	100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 5 कि० ग्रा० के गुणजों में
7.	काफी	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 1 कि० ग्रा० के गुणजों में।
8.	चाय	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 125 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 1 कि० ग्रा० के गुणजों में।
9.	वे सामग्री जिन्हें पाय के रूप में पुनः बनाया जा सकता	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 125 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 1 कि० ग्रा० के गुणजों में।
10.	खाद्य तेल, वनस्पति घी, बटर तेल	50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 3 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 5 किलोग्राम के गुणजों में यदि शुद्ध मात्रा परिमाण के रूप में घोषित की जाए तो यथास्थिति मिली लिटरों या लिटरों में वही संख्या। यदि शुद्ध मात्रा परिमाण के रूप में घोषित की जाए तो तब समान मात्रा वजन के रूप में ब्रेकेट्स में समान आकार के अक्षरों, संख्या में घोषित की जाए।
11.	दूध पाउडर	50 से कम कोई निर्बंधन नहीं, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 किलोग्राम और तत्पश्चात 500 ग्राम के गुणजों में।
12.	साबुनरहित अपमार्जक (पाउडर)	50 ग्रा० से कम कोई निर्बंधन नहीं, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 700 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 1.5 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 1 कि० ग्रा० के गुणजों में।
13.	चावल पाउडर किया हुआ, मैदा, आटा, रवा, सूजी	100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 5 कि० ग्रा० के गुणजों में।
14.	नमक	50 ग्रा० से कम 10 ग्राम के गुणजों में, 50 ग्रा०, 100 ग्रा०, 200 ग्रा०, 500 ग्रा०, 750 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा० और तत्पश्चात 5 कि० ग्रा० के गुणजों में।

15.	साबुन	
	(क) कपड़े धोने का साबुन	50 ग्रा०, 75 ग्रा०, 100 ग्रा० और तत्पश्चात् 50 ग्रा० के गुणजों में
	(ख) साबुन रहित अपमार्जक टिकिया/बार	50 ग्रा०, 75 ग्रा०, 100 ग्रा०, 125 ग्रा०, 150 ग्रा०, 200 ग्रा०, 250 ग्रा०, 300 ग्रा० और तत्पश्चात् 100 ग्रा० के गुणजों में।
	(ग) नहाने का साबुन, जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के नहाने का साबुन (टिकिया) आता है।	25 ग्रा०, 50 ग्रा०, 75 ग्रा०, 100 ग्रा०, 125 ग्रा०, 150 ग्रा०, और तत्पश्चात् 50 ग्रा० के गुणजों में।
16.	वतित मृदु पेय और अन्य गैर-एल्कोहोलिक पेय	65 मि० ली० (केवल फल आधारित पेय), 100 मि० ली०, 125 मि० ली० (केवल फल आधारित पेय), 150 मि० ली०, 200 मि० ली०, 250 मि० ली०, 300 मि० ली०, 330 मि० ली० (केवल केन में), 500 मि० ली०, 750 मि० ली०, 1 ली०, 1.5 ली०, 2 ली०, 3 ली०, 4 ली० और 5 ली०।
17.	मिनरल वाटर और पेय जल	100 मि० ली०, 150 मि० ली०, 200 मि० ली०, 250 मि० ली०, 300 मि० ली०, 500 मि० ली०, 750 मि० ली०, 1 ली०, 1.5 ली०, 2 ली०, 3 ली०, 4 ली० और 5 ली०।
18.	थैलों में सीमेंट	1 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा०, 10 कि० ग्रा०, 20 कि० ग्रा०, 25 कि० ग्रा०, 40 कि० ग्रा०, (केवल सफेद सीमेंट के लिए) और 50 कि० ग्रा०।
19.	पेंट वार्निश आदि	
20.	(क) पेंट (पेस्ट पेंट या ठोस पेंट के अतिरिक्त) वार्निश, वार्निश स्टेन, इनेमल।	50 मि० ली०, 100 मि० ली०, 200 मि० ली०, 500 मि० ली०, 1 ली०, 2 ली०, 3 ली०, 4 ली०, 5 ली० और तत्पश्चात् 5 ली० के गुणजों में।
	(ख) पेस्ट पेंट और ठोस पेंट	500 ग्रा०, 1 कि० ग्रा०, 1.5 कि० ग्रा०, 2 कि० ग्रा०, 3 कि० ग्रा०, 5 कि० ग्रा०, 7 कि० ग्रा० और तत्पश्चात् 5 कि० ग्रा० के गुणजों में।
	(ग) बेस पेंट	450 मि० ली०, 500 मि० ली०, 900 मि० ली०, 925 मि० ली०, 950 मि० ली०, 975 मि० ली०, 1 ली०, 3.6 ली०, 3.7 ली०, 3.8 ली०, 3.9 ली० और 4 ली० और 4 ली० से अधिक में कोई पाबंदी नहीं।

**तृतीय अनुसूची**  
(नियम 11 (4))

वस्तुओं के संबंध में (वज़न या आयतन द्वारा विक्रय) जिसे शब्दों द्वारा “जब पैक किया गया है” प्रस्तुत किया जाए।

क्र०सं० वस्तु का नाम

1. सभी प्रकार के साबुन
2. लोसंस
3. क्रीम (क्रीम मिल्क के अतिरिक्त)

**चतुर्थ अनुसूची**  
(नियम 12 (2) देखें)

1. निम्नलिखित वस्तुएं पैक की गई रूप में वज़न, मात्रा या संख्या के अनुसार बेचे जा सकते हैं जैसा कि उन वस्तुओं के सामने दिखाया गया है:-

**तालिका**

क्र०सं०	वस्तु	घोषणा वज़न, मात्रा या संख्या या उनमें से या दो या अधिक के अनुसार की जाएं
1.	2.	3.
1.	एरोसोल उत्पाद	वज़न
2.	द्रव रूप में अम्ल	वज़न या आयतन
3.	संपीड़ित या द्रवीभूत वायु (किन्तु द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस नहीं)	बताए गए तापमान और दबाव पर वज़न और समतुल्य आयतन
4.	दही	वज़न
5.	विद्युत केबल	लंबाई या वज़न
6.	विद्युत तार	लंबाई या वज़न
7.	फेसिंग तार	संख्या या वज़न
8.	फल, सभी प्रकार के	संख्या या वज़न
9.	भट्टी तेल	वज़न या आयतन
10.	गैर खाद्य वनस्पति तेल	वज़न या आयतन
11.	खाद्य तेल, वनस्पति, घी और मक्खन तेल	वज़न या आयतन
12.	भारी अपशिष्ट ईंधन तेल	वज़न
13.	औद्योगिक डीजल ईंधन	आयतन

14.	शहद, माल्ट का सत, गोल्डन सिरप, कोणी	वजन
15.	आईसक्रीम और अन्य वैसी जमाई गई उत्पादें	आयतन
16.	द्रव्य रसायन	वजन या आयतन
17.	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस	वजन
18.	कीलें, लकड़ के स्कू	संख्या या वजन
19.	पेंट (पेस्ट पेंट या ठोस पेंट के अतिरिक्त) वार्निश, वार्निश स्टेन, इनेमल	आयतन
20.	पेस्ट पेंट, ठोस पेंट	वजन
21.	रसगुल्ला, गुलाब जामुन और अन्य मिष्ठान	वजन
22.	तैयार कपड़े	संख्या
23.	सॉस, सभी प्रकार के	वजन
24.	टायर और ट्यूब	संख्या
25.	धागा	धागे का वजन या लंबाई
26.	प्रसाधन सामग्री, क्रीम, सैप्, लोशन तथा इत्र आदि सम्मिलित	वजन या आयतन

### पांचवीं अनुसूची

(नियम 19 देखें)

नमूना पैकेज के चुनाव की रीति

1. पैकेज में समाहित किसी वस्तु की शुद्ध मात्रा के लिए, नमूना आकार नीचे दी गई तालिका में कालम 2 के सदृश प्रविष्टि में कथित तालिका के लाट आकार के सामने विनिर्दिष्ट हैं।

लॉट आकार	नमूना आकार
(1)	(2)
4000 से कम	32
4000 से अधिक	80

2. नमूने पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट रीति से यदा-कदा चुने जाएंगे

3. जहां किसी पैकेज में रखी हुई सामग्री की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए विनिर्माता द्वारा या पैकर द्वारा किसी भंडागार गोदाम या किसी अन्य स्थान में भंडारित पैकेजों के नमूने लेने आवश्यक हैं वहां नमूने का चयन चाहे जहां के पैकेज के प्रत्येक लॉट में से किया जाएगा और ऐसा चयन स्टोक में सबसे ऊपर से नीचे से बीच में से, दाएं से, बाएं से, सामने से और पीछे से किया जाएगा ताकि नमूना लॉट के पैकेजों का पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व कर सके।

4. जहां पैकेज में रखी गई किसी वस्तु की शुद्ध मात्रा का अवधारणा करने के लिए आवश्यक है कि नमूना उस स्थान से लिया जाए जहां पैक भरे जा रहे हैं तो ऐसे नमूने उन पैकेजों में से चुने जाएंगे जो पहले ही भरे जा चुके हैं अथवा विकल्पतया, यथेष्ट मात्रा में खाली कंटेनर के लिए जाएंगे और उन्हें यथेष्ट रूप में, समुचित पहचान चिन्ह लगाकर चिन्हित किया जाएगा तब प्रत्येक कंटेनर का टैयर वेट ठीक-ठीक दर्ज किया जाएगा और तत्पश्चात कंटेनरों को चिन्हित करके पैकिंग की प्रक्रिया में जहां कहीं रख दिया जाएगा ताकि जो भी पैकेज भर दिए जाएं उसके पश्चात यह अवधारित करना संभव हो कि पैकेजों में कंटेनर पर घोषित वस्तु की शुद्ध मात्रा है या नहीं।

स्पष्टीकरण: इस अनुसूची में "नमूना आकार" से नमूने के रूप में चुने गए पैकेजों की संख्या अभिप्रेत है।

### छठी अनुसूची

(नियम 19 देखें)

#### पैकेजों में रखी गई वस्तुओं के शुद्ध मात्रा का अवधारण

##### भाग - I उपस्कर

1. अपेक्षित उपस्कर: (1) निदेशक, नियंत्रक या कोई विधिक माप विज्ञान अधिकारी, अधिनियम या उसके अधीन कसी पैकेज में रखी गई वस्तु का शुद्ध अवधारण करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित सरकार द्वारा यथेष्ट उपस्कर और समीचीन रूप से और के साथ सही प्रकार से अपना कार्य करने के लिए उपस्कर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट उपस्करों में सामान्यतया कार्यकारी मानक बाट और तुलाएं होंगी तथा ऐसे अन्य बाट और तोल करने के औजार चिन्ह निदेशक संबंधित पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए घोषित करें।

(3) कसी भी पैकेज में सम्मिलित शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के पूर्व निदेशक, नियंत्रक अथवा कोई विधि माप विज्ञान अधिकारी इस ओर से आश्वस्त होगा कि कार्यकारी मानक और अन्य साधित्र ठीक-ठीक काम कर रहे हैं।

2. आमतौर से प्रयोग किये जाने वाले कार्यकारी मानक - (1) सामान्यतया सम्यक रूप से सत्यापित कार्यकारी मानकों और अन्य बाटों और मापों का प्रयोग पैकेज में रखी गई मात्राओं की जानकारी करने के लिए किया जाएगा तथा शुद्ध मात्रा के संबंध में त्रुटियां, यदि कोई हों, पैकेज पर घोषित की जाएंगी।

परन्तु जहां विनिर्माता पैकर या थोक व्यापारी के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन बाटों और मापों का प्रयोग आवश्यक न हो, वहां ऐसे बाटों और मापों का प्रयोग तब के सिवाय नहीं किया जायेगा जब वे प्रयोग करने से पहले सत्यापित न किये गये हों और ऐसे बाटों वाले माप तब के सिवाय प्रयोग में नहीं लाये जाएंगे जब ऐसे बाटों या मापों की अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि पैकेज में रखी गई वस्तु की शुद्ध मात्रा के संबंध में अनुज्ञान अधिकतम त्रुटि का बीस प्रतिशत या उससे कम न हो।

(2) प्रत्येक विनिर्माता, पैकर या थोक व्यापारी का कर्तव्य होगा कि वह निदेशक, नियंत्रक या माप विज्ञान अधिकारी को उनके कर्तव्यों का समीचीन रूप से दक्षतापूर्वक पालन करने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान करे।

(3) जहां विनिर्माता, पैकर या थोक ब्यौहारी के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन कोई बाट, माप या अन्य यंत्र निदेशक, नियंत्रक या माप विज्ञान अधिकारी द्वारा किसी पैकेज में रखी गई शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए किया जाता है वहां ऐसे बाट, माप या अन्य यंत्र निदेशक या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा तब तक छोड़े नहीं जाएंगे जब कि कार्य पूरा नहीं हो जाता।

भाग-II - विनिर्माता या पैकर के परिसर में मात्रा और त्रुटियों के अवधारण की बाबत निर्देश।

3.(1) यदि खाली टेयर पैकेज उपलब्ध हो, तो ऐसा एक पैकेज लिया जाएगा और टेयर पैकेज के वजन का अवधारण किया जाएगा। यदि टेयर पैकेज का वजन संबंधित वस्तु की उस मात्रा की अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के तीन बटा दस के समतुल्य या उससे कम है, तो यह माना जाएगा कि इस प्रकार अवधारित टेयर पैकेज का वजन अन्य सभी नमूनों के पैकेजों को सकल वजन से टेयर पैकेज वजन को घटाकर प्रत्येक पैकेज की अंतः वस्तु का शुद्ध वजन निकाला जाएगा। यदि इस प्रकार अवधारित टेयर पैकेज का वजन उस मात्रा के लिए उक्त वस्तु के संबंध में अनुज्ञेय अधिकतम त्रुटि के तीन बटा दस से अधिक है तो चार अतिरिक्त खाली टेयर पैकेजों के वजन का अवधारण किया जाएगा। यदि पाँच नमूने के पैकेजों का अधिकतम टेयर पैकेज वजन और न्यूनतम टेयर पैकेज वजन का अंतर उस वस्तु की मात्रा के लिए अनुज्ञान अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के चार बटा दस के समतुल्य या उससे कम है, तो पैकेज का टेयर वजन पाँचों टेयर पैकेज वजन के औसत के बराबर लिया जाएगा। तब नमूने के पैकेजों के सकल वजन का अवधारण किया जाएगा और नमूने के प्रत्येक पैकेट में वस्तु की शुद्ध मात्रा प्राप्त करने के लिए पैकेज के सकल वजन से औसत टेयर पैकेज वजन को घटाया जाएगा। तथापि, जब पाँच पृथक पृथक पैकेजों का टेयर वजन का अंतर ऊपर विनिर्दिष्ट अधिकतम अनुज्ञेय सीमा से चार बटा दस से अधिक हो तो, यथास्थिति उप पैरा (4) या उप पैरा (5) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अलग-अलग पैकेजों की शुद्ध मात्रा का अवधारण करने के लिए अपनाई जाएगी।

(2) यदि खाली टेयर पैकेज न हो तो सैंपल में से एक पैकेज को खोला जाएगा और वस्तु का शुद्ध वजन और पैकेज का टेयर वजन अवधारित किया जाएगा। यदि पैकेज का टेयर वजन अवधारित किया जाएगा। यदि पैकेज का टेयर वजन उस मात्रा की वस्तु से संबंधित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के समान या उसके तीन बटा दस भाग से कम है तो वह मान लिया जाएगा कि पैकेज का इस प्रकार अवधारित टेयर वजन नमूना में वे अन्य सभी पैकेज के लिए विधिमान्य है और तब शेष पैकेजों का सकल वजन निकाल लिया जाएगा। तत्पश्चात प्रत्येक पैकेज में लगी हुई वस्तु के शुद्ध वजन को सकल वजन में से टेयर वजन को घटाकर निकाला जाएगा।

(3) यदि उप-पैरा 2 के विनिर्दिष्ट पैकेज का टेयर वजन उस वस्तु से संबंधित अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि के तीन बटा दस से अधिक है तो नमूने में से चार पैकेज खोले जाएंगे और प्रत्येक पैकेज की वस्तु का शुद्ध वजन तथा प्रत्येक पैकेज का टेयर वजन अवधारित किया जाएगा, यदि पाँच नमूनों के अधिकतम टेयर वजन और न्यूनतम टेयर वजन के बीच का अंतर उस मात्रा की वस्तु के लिए अनुज्ञेय अधिकतम त्रुटि के बराबर या चार बटा दस भाग से कम है तो पैकेज का टेयर वजन पाँच टेयर वजनों के गणितीय औसत के बराबर मात्रा जाएगा। तब नमूनों के पैकेजों का सकल भार आवश्यक यथार्थता तक अवधारित किया जाएगा और कंटेनर का औसत टेयर वजन सकल वजन में से घटाकर नमूने में के प्रत्येक पैकेज की वस्तु की सकल मात्रा निकाली जाएगी।



(4) यदि उप-पैरा (2) में वर्णित प्रथम टेयर पैकेज का परीक्षण कर यह पाया जाता है कि कंटेनर का टेयर वजन उप-पैरा (1) और उप पैरा (3) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है तथा सकल उन वस्तुओं का अवधारण शेष पैकेजों को खोल बिना नहीं किया जा सकता था उप पैरा (5) में वर्णित प्रक्रिया का उपयोग करना संभव नहीं हो तो परीक्षा किये जाने वाले नमूने का आकार, पांचवीं अनुसूची की सारणी के स्तम्भ (1) में उल्लिखित लॉट के अनुसार स्तम्भ (2) में उल्लिखित तक सीमित रखी जाएगी तथा नमूने में के सभी पैकेजों को खोलकर शुद्ध मात्रा का अवधारण किया जाएगा।

(5) जहां यह संभव है कि वास्तविक शुद्ध मात्रा का अवधारण करने की प्रक्रिया नष्टकारी हो सकती है और परिणामों पर प्रभाव डाले बिना पैकिंग की प्रक्रिया में खोली पैकेजों की फीड करना संभव है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

(क) पांचवीं अनुसूची की सारणी के स्तम्भ (1) और (2) के अनुसार लॉट के आकार के आधार पर ही खाली पैकेजों की संख्या चुनी जाएगी;

(ख) खाली पैकेजों को अन्य पैकेजों की अपेक्षा ठीक प्रकार से पहचानने के लिए उपयुक्त ढंग से चिन्हित किए जाएंगे;

(ग) खाली पैकेज तथा उसके भरने के पश्चात उसमें फिट किए जाने वाले अन्य भागों सहित उसका वजन अवधारित किया जाएगा तथा खाली पैकेज पर ठीक प्रकार से दर्ज किया जाएगा एवं सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में भी दर्ज किया जाएगा;

(घ) तब खाली पैकेज को उन्हें अनियमित रूप से पैकिंग की प्रक्रिया के दौरान भरा जाएगा और इस प्रकार उन्हें रखने की प्रक्रिया उस अवधि में विस्तारित की जाएगी जिसके आधार पर लॉट का आकार अवधारित किया जाता है।

(ङ.) तब चिन्हित पैकेज की भराई और मुद्रांकित करने की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात बाहर निकाला जाएगा और ऐसे प्रत्येक भरे हुए पैकेज की समुचित यथार्थता के साथ वजन किया जाएगा;

(च) खंड (ग) के अनुसार अवधारित टेयर वजन को सकल वजन में से घटाकर शुद्ध मात्रा निकाली जाएगी।

(6) निदेशक, नियंत्रक अथवा विधिक माप विज्ञान अधिकारी सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में सकल वजन, शुद्ध वजन और टेयर वजन के परिणाम ऐसी अन्य टिप्पणियों सहित दर्ज करेगा जो वह ऐसी परीक्षा के आधार पर खर्च करना चाहे।

4. आयतन द्वारा द्रव अंतर्वस्तुओं का अवधारण (1) यदि पैकेज में भरी हुई द्रव वस्तु का विनिर्दिष्ट गुरुत्व एक लॉट के लिए पर्याप्त रूप से स्थिर रहता है और उसके विनिर्दिष्ट गुरुत्व को ठीक ठीक अवधारित करना संभव है तो वजन द्वारा कुल अंतर्वस्तुओं का अवधारण करने की पद्धति का जो कि पैरा 3 में वर्णित है उपयोग किया जा सकेगा।

(2) यदि उप पैरा (1) में वर्णित पद्धति संभव नहीं है तो कंटेनरों को खोला जाएगा और प्रत्येक पैकेज के अंतर्वस्तुओं का समुचित आयतन माप में सावधानीपूर्वक निकाला जाएगा।

(3) प्रत्येक पैकेज में वस्तु के वास्तविक शुद्ध आयतन की रीडिंग सावधानी पूर्वक दर्ज की जाएगी और 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रारूप में लिखी जाएगी।

5. वस्तुओं की लंबाई सत्यापन—(1) नमूने का पांचवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से चयन किया जाएगा।

(2) यदि पैकेज खोले बिना विमा मापना संभव न हो, तो पैकेज खोले जाएंगे।

(3) वस्तु की लंबाई यथोचित लंबाई के अंशांकित स्टील टेप के द्वारा मापी जाएगी।

(4) यदि वस्तु की लंबाई इतनी ज्यादा है कि उसे टेप की माप से मापना संभव नहीं है और लंबाई मापने वाला यथोचित इंस्ट्रूमेंट परिसरों पर उपलब्ध है तो उस इंस्ट्रूमेंट का लम्बाई के कार्यकारी मानक के रूप में कार्य करने वाले स्टील टेप से यथोचित साधनों द्वारा उसे सम्यक रूप से अंशांकित करने के पश्चात उपयोग किया जाएगा।

(5) प्रत्येक पैकेज में वस्तु की वास्तविक लंबाई की रीडिंग सावधानीपूर्वक दर्ज की जाएगी और 7वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप में लिखी जाएगी।

6. संख्या द्वारा पैक की गई वस्तुओं का सत्यापन—निदेशक, नियंत्रक या विधिक माप विज्ञान अधिकारी 5वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उसके द्वारा लिए गए नमूनों से पैकेजों को लेगा और प्रत्येक ऐसे पैकेज में वास्तविक गणना करके त्रुटि की सीमा का अवधारण करेगा और उस प्रयोग के लिए सारे पैकेजों को खोल सकेगा।

7. अन्य घोषणाओं की जांच पड़ताल—(1) पैकेज पर या उन पर लगाए गए लेबल पर की गई घोषणाओं को यह अभिनिश्चय करने की दृष्टि से कारखाने में या कारखाने के डिपो पर परीक्षा की जाएगी कि क्या ऐसी घोषणाएं इन नियमों के अनुरूप हैं।

(2) नियम 6 के उप नियम (1) के खण्ड (छ) और (ज) के संबंध में पैकेज पर या उस पर या उस पर लगाए गए लेबल पर की गई अतिरिक्त घोषणाओं की भी वह अभिनिश्चित करने के लिए परीक्षा की जाएगी कि वे यथायोग्य हैं।

### सातवीं अनुसूची

#### प्ररूप क

वजन को चैक करना—आंकड़ा सीट

क	
पैकेज की विशिष्टियां	विनिर्माता/मेकर का नाम
	पता      कीमत      मास      वर्ष
ख	लाट साइज:      सैंपल का आकार
वस्तु वर्गीकरण	अनुसूची प्रथम/द्वितीय वर्ग क/ख अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की प्रतिशत

ग	सैम्पल संख्या	कुल वज़न	टेयर वज़न	शुद्ध वज़न/त्रुटि	टिप्पणियां
वजन चैकिंग आंकड़ा	1 200				
घ परिणाम	घोषित वजन	औसत वज़न			
ड. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन से परिणाम संबंधी साधारण टिप्पण।					
च	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम	पदाभिधान: नाम: समय:	विनिर्माता/विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत पैकर या किसी सक्षम साक्षी के हस्ताक्षर और नाम	स्थान:	

टिप्पण: यदि तारीख शीट तक एक से अधिक पृष्ठों में है तो प्रत्येक जारी रहने वाली शीट पर भाग च में विनिर्दिष्ट होंगे।

### प्ररूप ख

आयतन/लंबाई चैकिंग – आंकड़ा शीट

क	पैकेज की विशिष्टियां	विनिर्माता/मेकर का नाम			
		पता	कीमत	मास	वर्ष
ख	वस्तु वर्गीकरण	लाट साइज: अनुसूची प्रथम/द्वितीय वर्ग क/ख अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि की प्रतिशत	सैपल का आकार		

ग	सैम्पल संख्या	कुल वज़न	टेयर वज़न	शुद्ध वज़न/त्रुटि	टिप्पणियां
आयतन लंबाई चैकिंग आंकड़ा	1 200				
घ परिणाम	घोषित आयतन/लंबाई आयतन/लंबाई			औसत	
ड. अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों का अनुपालन से परिणाम संबंधी साधारण टिप्पण।					
च	प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और नाम		विनिर्माता/विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत पैकर या किसी सक्षम साक्षी के हस्ताक्षर और नाम		
	पदाभिधान: नाम: समय:		स्थान:		

टिप्पण: यदि तारीख शीट तक एक से अधिक पृष्ठों में है तो प्रत्येक जारी रहने वाली शीट पर भाग च में विनिर्दिष्ट होंगे।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-9(6)/2010-पार्ट]

राकेश कक्कड़, विशेष सचिव

**MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION****(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th March, 2011

G.S.R. 202(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (j) and (q) of sub-section (2) of section 52 of the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**1. Short title, and Commencement.-**

- (1) These rules may be called The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2011.

**2. Definitions:-**

In these rules, unless the context otherwise requires-

- (a) "Act" means the Legal Metrology Act 2009, (1 of 2010);
- (b) "dealer" in relation to any commodity in packaged form, means a person who, or a firm which carries on directly or otherwise, the business of buying, selling, supplying or distributing any such commodity whether for cash or for

deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration, and includes a commission agent who carries on such business on behalf of any principal, but does not include a manufacturer who manufactures any commodity which is sold or distributed in a packaged form except where such commodity is sold by such manufacturer to any other person other than a dealer ;

(c) "lot" means –

(i) in the case of packages which have been stored, the total number of such packages stored; and

(ii) in the case of packages which are on or at the end of the packing line, the maximum hourly output of packages;'

(d) "manufacturer" in relation to any commodity in packaged form, means a person who or a firm which produces, makes or manufactures such commodity and includes a person or firm which puts, or causes to be put, any mark on any packaged commodity, not produced, made or manufactured by him or it, and the mark claims the commodity in the package to be a commodity produced, made or manufactured by such person or firm as the case may be;

(e) "Maximum permissible error", in relation to the quantity contained in an individual package, means an error in deficiency which, subject to the provision of these rules, does not exceed the limits specified in the First Schedule;

(f) "net quantity", in relation to commodity contained in a package, means the quantity by weight, measure or number of such commodity contained in that package, excluding the packaging or wrappers;

(g) "packer" means a person who, or a firm which pre-packs any commodity, whether in any bottle, tin, wrapper or otherwise, in units suitable for sale whether wholesale or retail;

(h) "principal display panel", in relation to a package, means the total surface area of the package where the information required under these rules are to be given in the following manner, namely:-

(i) all the information could be grouped together and given at one place; or

(ii) the pre-printed information could be grouped together and given in one place and on line information grouped together in other place;

(i) "quantity" in relation to commodity contained in a package, means the quantity by weight, measure or number of such commodity contained in that package;

(j) "retail dealer" in relation to any commodity in packaged form means a dealer who directly sells such packages to the consumer and includes, in relation to packages as are sold directly to the consumer, a wholesale dealer who makes such direct sale to the consumer.

(k) "retail package" means the packages which are intended for retail sale to the ultimate consumer for the purpose of consumption of the commodity contained therein and includes the imported packages :

Provided that for the purposes of this clause, the expression 'ultimate consumer' shall not include industrial or institutional consumers;

(l) "retail sale", in relation to a commodity, means the sale, distribution or delivery of such commodity through retail sales shops, agencies or other

instrumentalities for consumption by an individual or a group of individuals or any other consumer;

(m) "retail sale price" means the maximum price at which the commodity in packaged form may be sold to the ultimate consumer and the price shall be printed on the package in the manner given below;

'Maximum or Max. retail price Rs...../₹..... inclusive of all taxes or in the form MRP Rs..... / ₹..... incl., of all taxes after taking into account the fraction of less than fifty paise to be rounded off to the preceding rupee and fraction of above 50 paise and up to 95 paise to the rounded off to fifty paise;

(n) "section" means a section of the Act;

(o) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;

(p) "standard package" means a package containing the specified quantity of a commodity;

(q) "wholesale dealer" in relation to any commodity in packaged form means a dealer who does not directly sell such commodity to any consumer but distributes or sells such commodity through one or more intermediaries;

(r) "wholesale package" means a package containing- (i) a number of retail packages, where such first mentioned package is intended for sale, distribution or delivery to an intermediary and is not intended for sale direct to a single consumer; or

(ii) a commodity sold to an intermediary in bulk to enable such intermediary to sell, distribute or deliver such commodity to the consumer in similar quantities;

or



(iii) packages containing ten or more than ten retail packages provided that the retail packages are labeled as required under the rules.

(s) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

## CHAPTER –II

### PROVISIONS APPLICABLE TO PACKAGES INTENDED FOR RETAIL SALE

**3. Applicability of the Chapter.-** The provisions of this Chapter shall not apply to,-

(a) packages of commodities containing quantity of more than 25 kg or 25 litre excluding cement and fertilizer sold in bags up to 50 kg; and

(b) packaged commodities meant for industrial consumers or institutional consumers.

**Explanation :-** For the purpose of this rule,-

- i) "institutional consumer" means the institutional consumer like transportation, Airways, Railways, Hotels, Hospitals or any other service institutions who buy packaged commodities directly from the manufacturer for use by that institution;
- ii) "industrial consumer" means the industrial consumer who buy packaged commodities directly from the manufacturer for use by that industry.

**4. Regulation for pre-packing and sale etc. of commodities in packaged form. -** On and from the commencement of these rules, no person shall pre-pack or cause or permit to be pre-packed any commodity for sale, distribution or delivery unless the package in which the commodity is pre-packed bears thereon,

or on a label is securely affixed thereto, such declarations as are required to be made under these rules.

**Explanation.**- The existence of packages without the declaration of retail sale price within the manufacturer's premises shall not be construed as a violation of these rules and it shall be ensured that all packages leaving the premises of manufacturer for their destination shall have declaration of retail sale price on them as required in this rule.

**5. Specific commodities to be packed and sold in recommended standard packages.** - The commodities specified in the Second Schedule shall

be packed for sale, distribution or delivery in such standard quantities as are specified in that Schedule:

Provided that if a commodity specified in the Second Schedule is packed in a size other than that prescribed in that Schedule, a declaration that 'Not a standard pack size under the Legal Metrology (packaged Commodities) Rules, 2011 or 'non standard size under the Legal Metrology (packaged Commodities) Rules, 2011' shall be made prominently on the label of such package.

**6. Declarations to be made on every package.** - (1) Every package shall bear thereon or on label securely affixed thereto, a definite, plain and conspicuous declaration made in accordance with the provisions of this chapter as, to-

(a) the name and address of the manufacturer, or where the manufacturer is not the packer, the name and address of the manufacturer and packer and for any imported package the name and address of the importer shall be mentioned

**Explanation I.-** If any name and address of a company is mentioned on the label without any qualifying words 'manufactured by' or 'packed by', it shall be presumed that such name and address shall be that of the manufacturer and the liability shall be determined accordingly;

**Explanation II. -** If the brand name and address of the brand owner appear on the label as a marketer, then the brand owner shall be held responsible for any violation of these rules and action as may be required shall be initiated against the deemed manufacturer and in the event of more than one name and address appearing in the label, prosecution shall be launched against the manufacturer indicated on the label in the first place and not against all of them.

**Explanation III. -** In respect of packages containing food articles, the provisions of this sub-rule shall not apply, and instead, the requirement of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954) and the rules made there under shall apply

(b) The common or generic names of the commodity contained in the package and in case of packages with more than one product, the name and number or quantity of each product shall be mentioned on the package.

(c) The net quantity, in terms of the standard unit of weight or measure, of the commodity contained in the package or where the commodity is packed or sold by number, the number of the commodity contained in the package shall be mentioned.

(d) The month and year in which the commodity is manufactured or pre-packed or imported shall be mentioned in the package:

Provided that for packages containing food articles, the provisions of the Prevention of Food Adulteration Act 1954 (37 of 1954) and the rules made there under shall apply:

Provided further that nothing in this sub-clause shall apply in case of packages containing seeds which are labeled and certified under the provisions of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966) and the rules made there under:

Provided that a manufacturer may indicate the month and year using a rubber stamp without overwriting:

Provided also that for packages containing cosmetics products, the provisions of the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 shall apply.

(e) the retail sale price of the package;

Provided that for packages containing alcoholic beverages or spirituous liquor, the State Excise Laws and the rules made there under shall be applicable within the State in which it is manufactured and where the state excise laws and rules made there under do not provide for declaration of retail sale price, the provisions of these rules shall apply.

(f) Where the sizes of the commodity contained in the package are relevant, the dimensions of the commodity contained in the package and if the dimensions of the different pieces are different, the dimensions of each such different piece shall be mentioned.

(g) such other matter as are specified in these rules:

Provided that --

(A) no declaration as to the month and year in which the commodity is

manufactured or pre-packed shall be required to be made on--

(i) any package containing bidi or incense sticks;

(ii) any domestic liquefied petroleum gas cylinder of 14.2kg or 5kg, bottled and marketed by a public sector undertaking;

(B) where any packaging material bearing thereon the month in which any commodity was expected to have been pre-packed is not exhausted during that month, such packaging material may be used for pre-packing the concerned commodity produced or manufactured during the next succeeding month and not there after, but the Central Government may, if it is satisfied that such packaging material could not be exhausted during the period aforesaid by reason of any circumstance beyond the control of the manufacturer or packer as the case may be extend the time during which such packaging material may be used, and , where any such packaging material is exhausted before the expiry of the month indicated thereon, the packaging material intended to be used during the next succeeding month may be used for pre-packing the concerned commodity:

Provided that the said provision shall not apply to the packages containing food products, where the 'Best before or Use before' period is ninety days or less from the date of manufacture or packing.'

(C) no declaration as to the retail sale price shall be required to be made on

(i) any package containing bidi;

(ii) any domestic liquefied petroleum gas cylinder of which the price is covered under the Administrative Price Mechanism of the Government.

**Explanation I:** The month and the year in which commodity is pre-packed may be expressed either in words, or by numerals indicating the month and the year, or by both.

(2) Every package shall bear the name, address, telephone number, E-mail address, if available, of the person who can be or the office which can be, contacted, in case of consumer complaints.

(3) It shall not be permissible to affix individual stickers on the package for altering or making declaration required under these rules:

Provided that for reducing the Maximum Retail Price (MRP), a sticker with the revised lower MRP (inclusive of all taxes) may be affixed and the same shall not cover the MRP declaration made by the manufacturer or the packer, as the case may be, on the label of the package.

(4) It shall be permissible to use stickers for making any declaration other than the declaration required to be made under these rules.

(5) Where a commodity consists of a number of components and these components are packed in two or more units, for sale as a single commodity, the declaration required to be made under sub-rule (1) shall appear on the main package and such package shall also carry information about the other accompanying packages or such declaration may be given on individual packages and intimation to that effect may be given on the main package and if the components are sold as spare parts, all declarations shall be given on each package.

**7. Principal display panel-its area, size and letter etc.-** (1) In the case of a

package having a capacity of five cubic centimeters or less, the principal display panel may be a card or tape affixed firmly to the package and shall bear the required information.

(2) The height of any numeral in the declaration required under these rules, on the principal display panel shall not be less than,-

(i) as shown in Table-I, if the net quantity is declared in terms of weight or volume;

(ii) as shown in Table-II, if the net quantity is declared in terms of length, area or number.

(3) The height of letters in the declaration shall not be less than 1 mm height and when blown, formed, molded, embossed or perforated, the height of letters shall not be less than 2 mm.

Provided that the width of the letter or numeral shall not be less than one third of its height, except in the case of numeral '1' and letters (i), (I) and (l);

TABLE-I  
Minimum height of numeral

Serial Number	Net quantity in weight / volume	Minimum height in mm	
		Normal case	When blown , formed, molded, embossed or perforated on container
1	Upto 200g/ ml	1	2
2	Above 200g/ ml and upto 500g/ml	2	4
3	Above 500g/ ml	4	6

**TABLE-II**  
Minimum height of numeral

Serial Number	Net quantity in length, area or number, area of principal display panel	Minimum height in mm	
		Normal case	When blown, formed, molded, embossed or perforated on container
1	Upto 100 cm <sup>2</sup>	1	2
2	Above 100 cm <sup>2</sup> and upto 500 cm <sup>2</sup>	2	4
3	Above 500 cm <sup>2</sup> and upto 2500 cm <sup>2</sup>	4	6
4	Above 2500 cm <sup>2</sup>	6	6

(4) The provisions under sub-rule (1) to (3) shall not apply to a package if the information to be specified on such package under this rule is also required to be given by or under any other law for the time being in force.

### **8. Declaration where to appear.-**

(1) Every declaration required to be made under these rules shall appear on the principal display panel.

Provided that the area surrounding the quantity declaration shall be free from printed information.

(a) above and below by a space equal to at least the height of the numeral in the declaration, and

(b) to the left and right by a space at least twice the height of numeral in the declaration.

(2) For soft drink, ready to serve fruit beverages or the like, the bottle which is returnable by the consumer for being refilled, the retail sale price may be



indicated either on the crown cap, or on the bottle or on both and if the retail sale price is indicated on the crown cap or the bottle, it is sufficient to indicate the retail sale price in the form of 'MRP Rs..../ ₹.....'.

**9. Manner in which declaration shall be made.-** (1) Every declaration which is required to be made on a package under these rules shall be --

- (a) legible and prominent;
- (b) numerals of the retail sale price and net quantity declaration shall be printed, painted or inscribed on the package in a colour that contrasts conspicuously with the background of the label;

Provided that,--

- (a) where any label information is blown, formed or moulded on a glass or plastic surface such information need not be required to be presented in a contrasting colour;
- (b) where any declaration on a package is printed either in the form of handwriting or hand-script, such declaration shall be clear, unambiguous and legible.

(2) No declaration shall be made so as to require it to be read through any liquid commodity contained in the package.

(3) Where a package is provided with an outside container or wrapper such container or wrapper shall also contain all the declarations which are required to appear on the package except where such container or wrapper itself is transparent and the declarations on the package itself are easily readable through such outside container or wrapper.

Provided that no such declarations on the inner package as required under the

said rules is required if the inner package does not contain any declaration on its outer cover.

(4) The particulars of the declarations required to be specified under this rule on a package shall either be in Hindi in Devnagri script or in English:

Provided that nothing contained in this sub-rule shall prevent the use of any other language in addition to Hindi or English language.

**10. Declaration of name and address of the manufacturer, etc.-(1)**

Subject to the provisions of rule 6, every package kept, offered or exposed for sale or sold shall bear conspicuously on it, the name and complete address of the manufacturer, or where the manufacturer is not the packer, the name and address of the manufacturer and the packer and in case of imported packages, the name and address of the importer:

Provided that for packages of capacity 5 cubic cm or less, it shall be a sufficient compliance of this sub-rule, if a mark or inscription which would enable the consumer to identify the manufacturer or packer or the importer, as the case may be, is made on the package:

Provided further that where any commodity manufactured outside India is packed in India, the package shall also contain on the principal display panel the name and complete address of the packer or the importer in India.

Explanation.- In this sub-rule, 'complete address' means, the postal address at which the factory is situated, and, in any other case, the name of the street, number (if any) assigned to the premises of the manufacturer or packer and

either the name of the city and State where the business is carried on by the manufacturer or packer or the Postal Index Number [PIN] Code so that a consumer can identify and locate the manufacturer or packer or importer, as the case may be.

(2) The name of the manufacturer or packer or importer shall be the actual corporate name, or if not incorporated, the name under which the business is conducted by such manufacturer or packer or importer in India.

**11. General provisions relating to declaration of quantity.—**(1) In declaring the net quantity of the commodity contained in a package, the weight of wrappers and materials other than the commodity shall be excluded.--

(2) Where a commodity in a package is not likely to undergo any variation in weight or measure, on account of the environmental conditions, the quantity declared on the package shall correspond to the net quantity which will be received by the consumer, and the declaration of quantity of such package shall not be qualified by the words 'when packed' or the like.

(3) Save as otherwise provided in sub-rule (4), where a commodity in package is likely to undergo variations in weight or measure on account of environmental conditions and such variation is negligible, the declaration of quantity in relation to such package shall be made after taking into account such variation so that the consumer may receive not less than the net quantity of the commodity as declared on the package, and the declaration of quantity on such package shall not also be qualified by the words 'when packed' or the like.

(4) The declaration of quantity in relation to commodities which are likely to

undergo significant variations in weight or measures on account of environmental or other conditions may be qualified by the words "when packed", as specified in the Third Schedule.

**12. Manner in which declaration of quantity shall be.**—(1) The declaration of quantity shall be expressed in terms of such unit of weight, measure or number or a combination of weight, measure or number as would give an accurate and adequate information to the consumer with regard to the quantity of the commodity contained in the package.

(2) Except in the cases of commodities specified in the Fourth Schedule, the declaration of quantity shall be in terms of the unit of -

(a) mass, if the commodity is solid, semi-solid, viscous or a mixture of solid and liquid;

(b) length, if the commodity is sold by linear measure;

(c) area, if the commodity is sold by area measure;

(d) volume, if the commodity is liquid or is sold by cubic measure; or

(e) number, if the commodity is sold by number:

(3) Where the declaration of quantity has been made in terms of mass, the manufacturer or importer or, as the case may be, the packer may, at his option make an additional declaration on the package as to the number of commodities contained in the package.

(4) Where the declaration of quantity by weight or measure or number is not sufficient to give to the consumer full information with regard to the dimensions or number of commodity contained in the package, such declaration shall be accompanied by a declaration of the dimensions or number, or both, where

necessary, of the commodity contained in the package.

(5) Where it is necessary to communicate to the consumer any additional information about the commodity contained in a package, such information shall also appear on the same panel in which the other information, as required by these rules, have been indicated.

(6) The declaration of quantity shall not contain any word or expression which tends to create an exaggerated, misleading or inadequate impression as to the quantity of the commodity contained in the package, for example, words or expressions like-'minimum', 'not less than', 'average', 'about', 'approximately' or other words of a similar nature.

(7) For packages having capacity 5 cubic cm or less, the declaration of quantity shall be made on a tag, card, tape, or any other similar device affixed to the container in such manner that it cannot be removed without opening the container and every such tag, card, tape or other device shall contain mark or inscription which will enable the consumer to identify the manufacturer or packer, as the case may be.

**13. Statement of units of weight, measure or number.-** (1) The units of weight or measure or number shall be specified in accordance with the units specified in sub-rule (2) or sub-rule (3), as the case may be.

(2) When expressing a quantity less than,-

(a) one kilogram, the unit of weight shall be the gram;

(b) one metre, the unit of length shall be the centimetre;

(c) one square metre, the unit of area shall be the square decimetre;

(d) one cubic metre, the unit of volume shall be one cubic centimetre;

(e) one cubic decimetre, the unit of volume shall be the cubic centimetre;

(f) one litre, the unit of volume shall be the millilitre.

(3) When expressing a quantity of equal to or more than-

(a) one kilogram, the unit of weight shall be the kilogram and any fraction of a kilogram shall be expressed in terms of decimal of sub-multiples of kilogram or in terms of grams;

(b) one metre, the unit of length shall be the metre and any fraction of a metre shall be expressed in terms of decimal of sub-multiples of the metre or in terms of centimetre;

(c) square metre, the unit of the area shall be the square metre and any fraction of a square metre shall be expressed in terms of decimal of sub-multiple of the square metre.

(d) cubic metre, the unit of volume shall be the cubic metre and any fraction of a cubic metre shall be expressed in terms of decimal sub-multiple of the cubic metre;

(e) one litre, the unit of volume shall be the litre and any fraction of a litre shall be expressed in terms of decimal of sub-multiple of the litre:

Provided that where the quantity to be expressed is equal to one kilogram, one metre, one square metre, one cubic decimetre, one cubic metre or one litre, as the case may be, such quantity may be expressed at the option of the manufacturer or the packer or the importer, as the case may be, in terms of gram, centimetre, square decimetre, cubic centimetre, cubic decimetre or

millilitre as the case may be.

(4) No number called the dozen, score, gross, great gross or the like shall be specified or indicated on any package.

(5) Symbol of units:-(i) No system of units other than the International System of Units shall be used in furnishing the net quantity of the package;

(ii) For items sold by number the symbol should be N or U.

#### **14. Declarations with regard to dimensions of certain commodities.-**

Where a package contains commodities like bed-sheets, hemmed fabric materials, dhoties, sarees, napkins, pillow-covers, towels, table cloths or similar other commodities, the number and the dimensions of finished size of such commodities shall also be declared on the package or on the label affixed thereto:

Provided that where the package contains more than one piece of different dimensions, the package shall also contain a declaration as to the dimensions and the retail sale price of each such piece:

Provided further that the dimensions of the commodities and the retail sale price thereof shall also be marked on each individual piece.

#### **15. Declaration with regard to dimensions and weight to be made on packages in certain cases.-**

Where the dimensions and weight, or combination thereof, of a commodity has or have a relationship to the price of that commodity, the declaration of quantity on the package containing such commodity, shall also include a declaration as to such dimensions, weight or

combination.

**16. Declarations to be made with regard to the number of usable sheets to be stated.**-In the case of a package containing sheets like aluminum foil, facial tissues, waxed paper, toilet paper or any other type of sheet, the declaration of quantity on the package shall also include a statement as to the number of usable sheets contained in the package and the dimensions of each such sheet.

**17. Declarations with regard to the dimensions of container type commodities.--**

The commodities shall be expressed as bags, boxes, cups, pans or the like designed and sold in retail trade for being used as containers for other materials or objects and shall be labeled with the declaration of quantity as follows.--

(i) for bag-type commodities, the number of bags which the package may contain, followed by linear dimensions of the bags, whether packaged in a perforated roll or otherwise;

(ii) for square, oblong, rectangular or similarly shaped containers, the number of containers which the package may contain, followed by length, width, and if required, depth of the container.

(iii) for circular or generally round-shaped containers, not being cups or the like the number of commodities contained therein followed by diameter and, if



necessary, depth of the container.

(iv) When the use of a container is related by label references, the standard weight or measure, to the capability of the container to hold a specific quantity of commodity or a class of commodities such references shall be included in the declaration of quantity.

**18. Provisions relating to wholesale dealer and retail dealers.**-(1) No wholesale dealer or retail dealer or importer shall sell, distribute, deliver, display or store for sale any commodity in the packaged form unless the package complies with in all respects, the provisions of the Act and these rules.

(2) No retail dealer or other person including manufacturer, packer, importer and wholesale dealer shall make any sale of any commodity in packed form at a price exceeding the retail sale price thereof.

(3) Where, after any commodity has been pre-packed for sale, any tax payable in relation to such commodity is revised, the retail dealer or any other person shall not make any retail sale of such commodity at a price exceeding the revised retail sale price, communicated to him by the manufacturer, or where the manufacturer is not the packer, the packer, and it shall be, the duty of the manufacturer or packer as the case may be, to indicate by not less than two advertisements in one or more newspapers and also by circulation of notices to the dealers and to the Director in the Central Government and Controllers of Legal Metrology in the States and Union Territories, the revised prices of such packages but the difference between the price marked on the package and the revised price shall not, in any case, be higher than the extent of increase in the tax or in the case of imposition of fresh tax higher than the fresh tax so imposed: Provided that publication in any newspaper, of such revised price shall not be necessary where such revision is due to any increase in, or imposition or, any tax payable under any law made by the State Legislatures:

Provided further that the retail dealer or other person, shall not charge such revised prices in relation to any packages except those packages which bear marking indicating that they were pre-packed in the month in which such tax has been revised or fresh tax has been imposed or in the month immediately following the month aforesaid;

Provided also that where the revised prices are lower than the price marked on the package, the retail dealer or other person shall not charge any price in excess of the revised price, irrespective of the month in which the commodity was pre-packed.]

(4) Nothing in sub-rule (3) shall apply to a package which is not required, under these rules to indicate the month and the year in which it was pre-packed.

(5) No wholesale dealer or retail dealer or other person shall obliterate, smudge or alter the retail sale price, indicated by the manufacturer or the packer or the importer, as the case may be, on the package or on the label affixed thereto.

(6) The manufacturer or packer or the importer shall not alter the price on the wrapper once printed and used for packing.

(7) All retailers who are covered under the Value Added Tax VAT or Turn Over Tax (TOT) and dealing in packaged commodities whose net content declaration is by weight or volume or a combination thereof shall maintain an electronic weighing machine of at least accuracy class III, with smallest division of at least 1 g, with facility to issue a printed receipt indicating among other things, the gross quantity, price and the like at a prominent place in their retail premises, free of cost, for the benefit of consumers and the consumers may check the weight of

their packaged commodities purchased from the shop on such machine.

**19. Inspection of quantity and error in packages at the premises of the**

**manufacturer or packer.--**(1) With a view to ascertaining whether any package or lot of packages complies with provisions of these rules in all respects, the Director, Controller or any Legal Metrology Officer empowered to inspect under section 15 of the Act (hereafter referred to in these rules as the "authorized person") may examine the packages and carry out the tests at the premises of the manufacturer or where the manufacturer is not the packer, of the packer and when he carries out such examination or tests, he shall draw samples from such lot of packages, in such manner and in such number as are specified in the Fifth Schedule and the tests aforesaid shall be carried out in accordance with the method specified in the Sixth Schedule.

(2) The Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall enter in the Form set out in the Seventh Schedule, the detailed results of the tests carried out by him under sub-rule (1) and shall obtain, on the said Form, the signature of the manufacturer or, as the case may be, of the packer, or his authorized agent, or, in the absence of both, or on their refusal to affix such signature, the signature of a competent witness and copy of the data sheet containing the result shall be given to the manufacturer or packer, as the case may be.

(3) On the completion of the examination and tests carried out under sub-rule (1), the Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall make a report indicating therein his findings with regard to the declarations required to be made under these rules and as to the net quantity actually contained in the

sample packages and the extent of error, if any, noticed by him and furnish a copy of such report to the manufacturer or the packer, as the case may be.

(4) If it appears from the report referred to in sub-rule (3) that-

(a) the statistical average of the net quantity contained in the packages drawn as samples is lesser than the quantity declared on the packages or on the labels affixed thereto; or

(b) any such package shows an error in deficiency greater than the maximum permissible error, the Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall, if for good and sufficient reason, requested by the manufacturer or packer or his authorized agent, so to do, take out as soon as may be practicable, fresh samples and carry out fresh tests in accordance with the provisions of these rules and where fresh tests are made, the Director, Controller or any Legal Metrology Officer, as the case may be, shall collect a fee of two thousand five hundred rupees from the manufacturer or packer for carrying out the fresh tests.

Provided that where fresh tests are carried out, no package contained in the lot, which was previously tested under this rule, shall be sold or distributed by the manufacturer or packer, as the case may be, unless the provisions of the sub-rule (5) or as the case may be, sub-rule (6), are complied with.

(5)(a) where, as a result of any test carried out under this rule, it is found that any package contained in the lot does not conform to all or any of the provisions of the Act or of these rules, the manufacturer or the packer shall make a cent per cent check of the packages contained in the lot and pick out from the lot the

packages which conform to all the provisions of the Act and of these rules.

(b) When the Director, Controller or any Legal Metrology Officer is satisfied that the packages picked out by the manufacturer or packer conforms to all the provisions of the Act and of these rules, he shall authorize the sale, distribution or delivery of such packages.

(c) Where, as a result of such cent per cent check by the manufacturer or packer, any package is found to be not conforming to all or any or of the provisions of the Act or of these rules, such package shall not be sold, distributed or delivered until it has been re-packed, re-processed or relabeled, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act and of these rules.

(6) A lot of packages shall be approved for sale if, and only if, as a result of the tests carried out under this rule, it is found that- (a) the statistical average of the net quantity contained in the sample packages is equal to, or more than, the quantity declared on the package or on the label affixed thereto.

(b) the extent of error in deficiency in none of such sample packages exceeds the maximum permissible error.

© each such package bears thereon or on a label affixed thereto the declaration required to be made under these rules.

(7) The requirement of mandatory declarations on the packages shall be ensured either at the factory level or at the depot of the factory.

(8) For non-compliance of the provisions of this rule, action may be taken after seizing five representative samples of the packages as evidence and the rest of the packages may be released once compliance is ensured by the manufacturer

or the packer, as the case may be.

**20. Action to be taken on completion of inspection of packages at the premises of the manufacturer or the packer.-**

(1) If it appears from the report referred to in sub-rule (3) of rule 19 that,-

(a) the statistical average of the net quantity contained in the packages drawn as samples under that rule is lesser than the quantity declared on the packages or on the labels affixed thereto, or any such package shows an error in deficiency greater than the maximum permissible error, or

(b) any such package does not bear thereon or on label affixed thereto the declarations to be made under these rules, the Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall take action as given below, namely:-

(i) seize the packages drawn by him as samples and shall take adequate steps for the safe custody of the seized packages until they are produced in the appropriate court as evidence;

(ii) based on the evidence initiate action for violations of the provisions of the Act and these rules:

Provided that no such action shall be taken if fresh tests are carried out under sub-rule (4) of rule 19, but if after such fresh tests any such error or omission as is referred to in this sub-rule is detected, the Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall take appropriate action as specified in this sub-rule in accordance with the provisions of the Act against the manufacturer or, as the case may be, the packer.

(3) The disposal of the seized packages shall be made in accordance with the

provisions of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

**21. Inspection of quantity and error in packages at the premises of the**

**wholesale dealer or retail dealer** (1) Ordinarily, any test in relation to the net quantity contained in a package shall not be carried out at the premises of the retail dealer or the wholesale dealer, unless-

(i) a complaint is received by the Director or the Controller or any Legal Metrology Officer to the effect that the package sold or delivered to the complainant does not contain the quantity declared on such package or on the label affixed thereto;

(ii) the Director or the Controller or any Legal Metrology Officer has reason to suspect that any package has been tampered with or that there has been any pilferage or leakage of the commodity contained in the packages;

(iii) the Director or the Controller or any Legal Metrology Officer has reason to suspect that any package, or any label affixed thereto, does not bear thereon all or any of the declarations which are required to be made under these rules.

(2) Where any test is carried out in pursuance of the provisions of sub-rule (1), the Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall verify whether the quantity contained in the package corresponds to the quantity declared on such packages or any label affixed thereto and where quantity contained in package is less than the declared quantity, whether the deficiency is more than the maximum permissible error in relation to that commodity.

(3) Where the Director, Controller or any Legal Metrology Officer finds on a test carried out under this rule that the error in deficiency in any package kept or

stored for sale, distribution or delivery at the premises of the retail or wholesale dealer is more than the maximum permissible error in relation to that commodity, he shall seize such package and take appropriate action against the retail dealer or the wholesale dealer, as the case may be, in accordance with the provisions of the Act:

Provided that where the package bears the legend 'when packed', no punitive action shall be taken against the retail dealer or wholesale dealer if the Director, Controller or any Legal Metrology Officer is satisfied after necessary test that the deficiency in the net quantity contained in package is due to environmental conditions.

(4) Where as a result of any test made under this rule, it is found that the net quantity contained in the package conforms to the declared quantity or where there is a deficiency, such deficiency is not more than the maximum permissible error, the retail dealer shall be at liberty to sell or deliver or distribute such commodity at the price determined on the basis of the quantity found on such tests.

(5) Where, as a result of any test made under this rule, it is found that any package, or any label affixed thereto, does not bear thereon all or any of the declarations required to be made under these rules, it shall be lawful for the Director, Controller or any Legal Metrology Officer to make such enquiries as to the source from which such package was received by the whole sale dealer or the retail dealer as the case may be, as he may think fit.



**22. Establishment of maximum permissible error on package.-**

(1) The maximum permissible error in relation to the commodities shall be such as is indicated in the First Schedule.

(2) While establishing the maximum permissible error in relation to the net quantity of commodities contained in packages, due account shall be taken of the following causes which may lead to variation in quantity, namely:-

(a) variations caused by unavoidable deviation in weighing, measuring or counting the contents of individual packages that may occur in good packaging practice;

(b) variations caused by the ordinary and customary exposure to conditions, such as, climate, transport, storage or the like that normally occur in good distribution practice after the commodity is introduced in trade or commerce; and

(c) variations due to the nature of packaging material or container.

(3) The Director or Controller or the Legal Metrology officer shall determine, or cause to be determined, in relation to any commodity, the declaration in respect of the net quantity of which is permitted to be qualified by the words 'when packed'; the reasonable variations which may take place by reason of the environmental conditions.

**23. Deceptive packages to be repacked or in default to be seized.-**

(1) If, on the determination of the quantity contained in the sample packages, the Director or Controller or the Legal Metrology officer finds that the quantity contained in the package agrees with the declaration of the quantity made on

the package or label thereon but the package is a deceptive package, he shall require the manufacturer or the packer, as the case may be, to repack and re-label such package and in the event of the omission or failure on the part of the manufacturer or the packer, as the case may be, to repack or re-label such deceptive package, in accordance with the standards established by or under these rules, seize them, take appropriate punitive action in accordance with the Act and take adequate steps for the safe custody of such packages until they are produced in a court as evidence.

Explanation: For the purpose of this rule, 'deceptive package' means a package which is so designed as to deliberately given to the consumer an exaggerated or misleading impression as to the quantity of the commodity contained therein, except where bigger dimensions of the package can be justified by the manufacturer or the packer, as the case may be, on the ground that such dimensions are necessary for giving protection to the commodity contained in such package or for meeting the requirements of the machine used for filling such package.

(2) If the seized packages contain any commodity which is subject to speedy or natural decay, the Director or Controller or the Legal Metrology officer shall dispose of the commodity in accordance with the rules made under the Act.

### CHAPTER III

#### PROVISIONS APPLICABLE TO WHOLESALE PACKAGES

#### **24. Declarations applicable to be made on every wholesale package**

Every wholesale package shall bear thereon a legible, definite, plain and conspicuous declaration as to –

- (a) The name and address of the manufacturer or importer or where the manufacturer or importer is not the packer, of the packer;
- (b) the identity of the commodity contained in the package; and
- (c) the total number of retail package contained in such wholesale package or the net quantity in terms of standard units of weights, measures or number of the commodity contained in wholesale package;

Provided that nothing in this rule shall apply in relation to a wholesale package if a declaration similar to the declarations specified in this rule, is required to be made on such wholesale packages by or under any other law for the time being in force.

#### CHAPTER IV

#### EXPORT OF PACKAGED COMMODITIES

**25. Restrictions on sale of export packages in India.**-An export package shall not be sold in India unless the manufacturer or packer has re-packed or relabeled the commodity in accordance with the provisions contained in Chapter II, and where any export package is sold in India without such re-packing or re-labeling, such package shall be liable to be seized in accordance with the provisions of the Act.

#### CHAPTER V

#### EXEMPTIONS

**26. Exemption in respect of certain packages.**-Nothing contained in these

rules shall apply to any package containing a commodity if—

(a) the net weight or measure of the commodity is ten gram or ten millilitre or less, if sold by weight or measure;

Provided that the declaration in respect of maximum retail price and net quantity shall be declared on packages containing 10g to 20g or 10ml to 20ml;

(b) any package containing fast food items packed by restaurant or hotel and the like;

(c) it contains scheduled formulations and non-scheduled formulations covered under the Drugs (Price Control) Order, 1995 made under section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955);

(d) agricultural form produces in packages of above 50 kg.

## CHAPTER VI

### REGISTRATION OF MANUFACTURERS, PACKERS AND IMPORTERS

#### 27. Registration of manufacturers, packers and importers.-

(1) Every individual, firm, Hindu undivided family, society, company or corporation who or which pre-packs or imports any commodity for sale, distribution or delivery shall make an application, accompanied by a fee of rupees five hundred, to the Director or the Controller for the registration of his or its name and complete address; and every such application shall be made,-

(i) in the case of an applicant pre-packing or importing any commodity on the date of commencement of these rules, within a period of ninety days from such commencement; or

(ii) in the case of any applicant who or which commences pre-packing or importing of any commodity after the commencement of these rules, within ninety days from the date on which he or it commences such pre-packing.

(2) Every application referred in sub-rule (1) shall contain the following particulars, namely:-

(a) the name of the applicant;

(b) the complete address of the premises at which the pre-packing or import of one or more commodities is made by the applicant; and

(c) the name of the commodity or commodities pre-packed or imported by the applicant.

Explanation: In this sub-rule, 'complete address' has the meaning assigned to it in the explanation to sub-rule (1) of rule 10.'

(3) For making any alteration in the registration certificate issued under sub rule (1), a fee of rupees one hundred shall be paid by the concerned manufacturer or packer or importer to the Director or Controller.

(4) On receipt of the application made under sub-rule (1), the Director or Controller, who shall be the Registering Authority, shall-

(a) if the application is not complete in all respects, return the same to the applicant within a period of seven working days from the date of receipt of the application;

(b) if the application is complete in all respects, register the applicant and grant a registration certificate to the applicant to that effect.

**28. Registration of shorter address permissible.**-(1) It shall be lawful for any manufacturer or packer to make an application to the Director or the Controller for the registration of a shorter address, in addition to the complete address referred to in sub-rule (2) of rule 27.

(2) The Director or the Controller may, if he is satisfied after inquiry that the shorter address is sufficient to enable the consumer or any other person to identify the manufacturer or the packer, register such shorter address.

(3) Where a shorter address is registered by the Director or the Controller, it shall be lawful

for the manufacturer or packer to state such shorter address on the label of each commodity pre-packed by him or it.

**29. Registration of manufacturers and packers, etc.-**

(1) The Director or the Controller shall enter in a register, to be maintained by him for the purpose, the name and complete address of each manufacturer or packer by whom application for such registration has been made to him under rule 27.

(2) The register referred to in sub-rule (1) shall be open to the inspection of the public without payment of any fee.

**30. Compilation of lists of manufacturers or packers and their circulation.** The Director/ Controller shall compile a State-wise list of the manufacturers and packers registered by him under rule 29 and shall circulate such list to the Controller of the concerned State to enable the Controller to take, or cause to be taken, samples at the premises of the manufacturer or, where the manufacturer is not the packer, of the packer.

**CHAPTER VII**

**GENERAL**

**31. (1)** Any advertisement mentioning the retail sale price of the pre-packaged commodity shall contain a declaration as to the net quantity or number of the commodity contained in the package.

(2) The font size of the net quantity in the advertisement shall be same as that of retail sale price.

**32. Penalty for contravention of Rules**

(1) Whoever contravenes the provisions of rules 27 to 31, he shall be punished with fine of four thousand rupees.

(2) Whoever contravenes any other provision of these rules, for the contravention of which no punishment has been provided either in the Act or in the rules, he shall be punished with fine of two thousand rupees.

**33. Power to relax:** The Central Government may, after ascertaining the genuineness of the compounding of a case or a Court decision stated in the application, permit a manufacturer or packer to pack for sale the packages for a reasonable period by relaxing one or more provision of these Rules with such corrective measures as may be specified.

**34. Repeal and savings.-** (1) The Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977 (herein under referred to as the said rules) are hereby repealed.

Provided that such repeal shall not affect:

- (a) the previous operations of the said rules or anything done or omitted to be done or suffered therein; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said rules; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said rules; or
- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid.

And any such investigation, legal proceedings or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said rules had not been rescinded.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken including approval of letter, exemption granted, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced, license and registration of manufacturers, dealers, importers of pre-packaged commodities, or show cause notice, decision, determination, approval, authorisation issued, given or done under the said rules shall if in force at the commencement of the said rules continue to be in force and have effect as if issued, given or done under the corresponding provisions of these

rules.

(3) The provisions of these rules shall apply to any application made to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules for licence, registration of manufacturers, importers, dealers of pre-packaged commodities pending at the commencement of these rules and to any proceedings consequent thereon and to any registration granted in pursuance thereof.

(4) Any legal proceeding pending in any court under the said rules at the commencement of these rules may be continued in that court as if these rules had not been framed.

(5) Any appeal preferred to the Central Government or as the case may be the State Government under the said rules and pending shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these rules.

#### THE FIRST SCHEDULE

[See Rule 2(e)]

##### 1. Maximum permissible errors on net quantity declared by weight or volume.-

(1) The maximum permissible error, in excess or in deficiency, in the net quantity by weight or volume of any commodity shall be as specified in Table I below:-

**TABLE-I**

Maximum permissible errors on net quantities declared by weight or by volume

Sl. No.	Declared quantity g or ml	Maximum permissible error in excess or in deficiency	
		As percentage of declared quantity	g or ml
(i)	up to 50	9	-
(ii)	50 to 100	-	4.5
(iii)	100 to 200	4.5	-
(iv)	200 to 300	-	9
(v)	300 to 500	3	-
(vi)	500 to 1000	-	15
(vii)	1000 to 10000	1.5	-
(viii)	10000 to 15000	-	150
(ix)	More than 15000	1.0	-

(2) The maximum permissible error specified as percentage shall be rounded off to the nearest one-tenth of a g or ml, for a declared quantities less than or equal to 1000 g or ml and to the next whole g or ml for declared quantities above 1000 g or ml.

##### 2. The maximum permissible errors on net quantity declared by length, area or number. - (1) The maximum



permissible error, in excess or in deficiency, in the net quantity declared in terms of length, area or number of any commodity not specified in the First Schedule shall be as specified in Table II below:-

TABLE -II

The maximum permissible errors on net quantities declared by length, area or number

Sl. No.	Quantity Declared	Maximum permissible error in excess or in deficiency
(i)	in units of length	2% of declared quantity up to 10 metre and thereafter 1% of declared quantity.
(ii)	in units of area	4% of declared quantity up to 10 sq. metre and thereafter 1% of declared quantity.
(iii)	by number	2% of declared quantity.

## THE SECOND SCHEDULE

(See rule 5)

Commodities to be packed in specified quantities

The following commodities shall be packed in such quantities by weight, measure or number as are specified in the corresponding entries against them.

Sl. No.	Commodities	Quantities in which to be packed
1.	2.	3.
1.	Baby food	100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700 g, 800 g, 900g, 1 kg, 2kg, 5 kg and 10 kg.
2.	Weaning food.	100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and 10 kg.
3.	Biscuits	25g, 50g, 75g, 100g, 150g, 200g, 250g, 300g and thereafter in multiples of 100g up to 1 kg.
4.	Bread including brown bread but excluding bun.	100g and there after in of multiples 100g.
5.	Un-canned packages of butter and margarine	25 g, 50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, and thereafter in multiples of 5 kg.

6.	Cereals and Pulses	100g, 200g, 500g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and thereafter multiples of 5 kg
7.	Coffee	25g, 50g, 100g, 200g, 250g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg.
8.	Tea	25g, 50g, 100g, 125g 250g, 500g, 1kg and thereafter in multiples of 1kg.
9.	Materials which may be constituted or reconstituted as beverages.	25 g, 50 g, 100 g, 125g, 200 g, 500 g, 1 kg and thereafter in multiples of 1 kg.
10	Edible Oils Vanaspati, ghee, butter oil	50 g, 100 g, 200 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg If net quantity is declared by volume the same number in milliliters or liters, as the case may be. If the net quantity is declared by volume, then the equivalent quantity in terms of mass to be declared in brackets in same size of letters/ numerals
11.	Milk Powder.	Below 50g no restriction, 50 g, 100g, 200g, 500 g, 1 kg and thereafter in multiples of 500 g.
12.	Non-soapy detergents (powder)	Below 50 g no restriction, 50g, 100g, 200g, 500g, 700g, 1kg, 1.5 kg, 2 kg and thereafter, in multiples of 1 kg.
13.	Rice(powdered), flour, atta, rawa and suji.	100g, 200g, 500g, 1kg, 2kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg.
14.	Salt	Below 50g in multiples of 10g, 50g, 100g, 200g, 500g, 750g, 1 kg, 2 kg, 5 kg and thereafter in multiples of 5 kg.
15.	Soaps	
	(a) Laundry Soap	50g, 75g, 100g, and thereafter in multiples of 50g.
	(b) Non-soapy detergent cakes/ bars.	50g, 75g, 100g, 125g, 150g, 200g, 250g, 300g and thereafter in multiples of 100g
	(c) Toilet Soap including all kinds of bath soap (cakes).	25g, 50g, 75g, 100g, 125g, 150g and thereafter in multiples of 50g.
16.	Aerated soft drinks, non-alcoholic beverages.	65 ml (fruit based drinks only), 100 ml, 125ml(fruit based drinks only), 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 330ml(in cans only), 500 ml, 750 ml, 1 litre, 1.5 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre and 5 litre.
17.	Mineral water and	100 ml, 150 ml, 200 ml, 250 ml, 300 ml, 500 ml, 750 ml, 1 litre, 1.5 litre, 2

	drinking water	litre, 3 litre, 4 litre and 5 litre.
18.	Cement in bags.	1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 25 kg, 40 kg (for White cement only) and 50 kg.
19.	Paint varnish etc.	
	(a) Paint (other than paste paint or solid paint) varnish, varnish stains, enamels.	50 ml, 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 litre, 2 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre and thereafter in multiples of 5 litre.
	(b) Paste paint and solid paint	500g, 1 kg, 1.5 kg, 2 kg, 3 kg, 5 kg, 7kg and thereafter multiple of 5 kg.
	(c) Base paint:	450 ml, 500 ml, 900 ml, 925 ml, 950 ml, 975 ml, 1 litre, 3.6 litre, 3.7 litre, 3.8 litre, 3.9 litre and 4 litre and no restriction above 4 litre. <sup>1</sup>

**THE THIRD SCHEDULE**

(See Rule 11(4))

Declaration of quantity in relation to commodities (sold by weight or volume) which may be qualified by the words "When packed"

Sl. No.	Name of commodity
1.	All kinds of Soaps
2.	Lotions
3.	Cream (other than cream of milk)

**THE FOURTH SCHEDULE**

(See Rule 12(2))

Exceptions referred to in Rule 12(2)

1. The following commodities in packaged form may be sold by weight, measure or number as shown against the commodity:-

**TABLE**

Sl. No.	Commodity	Whether declaration to be expressed in terms of weight, measures or number or two or more of them
1.	2.	3.
1.	Aerosol Products	Weight
2.	Acids in liquid form	Weight or volume
3.	Compressed or liquefied	Weight and equivalent volume

	gas (but not liquefied petroleum gas)	at stated temperature and pressure
4.	Curd	Weight
5.	Electric Cables	Length or weight
6.	Electric wire	Length or weight
7.	Fencing wire	Number or weight
8.	Fruits, all kinds	Number or weight
9.	Furnace oil	Weight or volume
10.	Non edible vegetable oil	Weight or volume
11.	Edible oil, Vanaspati ghee and butter oil	Weight or volume
12.	Heavy residual fuel oil	Weight
13.	Industrial diesel fuel	Volume
14.	Honey, malt-extract, golden syrup treacle	Weight
15.	Ice cream and other similar frozen products	Volume
16.	Liquid chemicals	Weight or volume
17.	Liquefied petroleum gas	Weight
18.	Nails, wood screws	Number or weight
19.	Paints other than paste paint or solid paint) Varnish varnish stains, enamels	Volume
20.	Paste paint, solid paint	Weight
21.	Rasgulla, Gulabjamun and other sweet preparations	Weight
22.	Ready-made garments	Number
23.	Sauces, all kinds	Weight
24.	Tyres and tubes	Number
25.	Yarn	Weight or length of yarn.
26.	Cosmetics including creams, shampoo, lotions and perfumes	Weight or measure

### THE FIFTH SCHEDULE

(See Rule 19)

#### Manner of Selection of Sample Packages

1. For determination of the net quantity for any commodity contained in a package, the sample size shall be such as is specified in the corresponding entry column 2 of the Table below against the lot size specified in Column 1 of the said Table.

Lot Size	Sample Size
(1)	(2)
Less than 4000	32

More than 4000	80
----------------	----

2. The sample shall be selected at random in accordance with the manner specified in paragraphs 3 and 4.
3. Where, for the determination of the net quantity of any commodity contained in a package it is necessary to take samples of packages stored by the manufacture or packer in a ware house, go-down or at any other place, the sample shall be selected at random, from ever lot of packages and shall be picked out from the top, bottom, center, right, left, front and rear of the stocks so that the samples may adequately represent the packages in the lot.
4. Where, for the determination of the net quantity of any commodity contained in a package it is necessary to take samples form the place where the package is being filled such samples shall be selected from among the package which have already been filled, or in the alternatively, the requisite number of empty containers may be taken over and each of them shall be adequately marked for proper identification and the tare weight of each container shall be accurately noted and thereafter the marked containers shall be introduced at random in the packing process so that, after the packages are filled in may be possible to determine the net quantity

**Explanation:** In this schedule 'Sample size' means the umber of packages to be selected as sample.

#### THE SIXTH SCHEDULE

(See Rule 19)

#### Determination of the Net Quantity of Commodities contained in Packages

##### Part-I - Equipment

- 1. Equipments required-** (1) The Director, Controller or any Legal Metrology Officer authorized by or under the Act, to determine the net quantity; of commodity contained in any package, shall be provided by the concerned Government with adequate equipments and facilities to carry out his work to the required degree of accuracy in an Expedient and efficient manner.

(2) The equipments, referred to in sub-paragraph (1), shall ordinarily consist of working standard weights and balances, or any other weight or measure declared by the Director to be suitable for determining the net quantity contained in the concerned package.

(3) The Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall, before determining the net quantity contained in any package, ensure that the working standards and other equipments are functioning properly.

**2. Working standards to be ordinarily used.**—(1) Ordinarily, working standards and other weights and measures, duly verified shall be used for determining the net quantities contained in packages and the errors, if any, in relation to the net quantity declared on the package.

Provided that, where it is necessary to use the weights and measures, owned or controlled by the manufacturer, packer or wholesale dealer as the case may be such weights and measures, shall be used unless the maximum permissible error of such weights and measures is twenty per cent or less of the maximum error permitted in relation to the net quantity of the commodity contained in the packages.

(2) It shall be the duty of every manufacturer, packer or wholesale dealer to render such assistance the Director, Controller or any Legal Metrology Officer as the Director or other authorized person may require in order carrying out his duties expeditiously and efficiently.

(3) Where any weight, measure or other equipment, owned or controlled by the manufacturer, packer or wholesale dealer is used by the Director, Controller or any Legal Metrology Officer for the determination of the net quantity contained in any package, such weight, measure or other equipment shall not be released by the Director or other authorized person until his work is completed.

**Part-II - Instructions with regard to the determination of quantity and error at manufacturer's or packer's premises.**

**3. (1)** If empty tare packages are available, one such package shall be taken and tare package weight determined. If

the tare package weight is equal to or less than three-tenths of the maximum permissible error for the concerned commodity of that quantity, it shall be assumed that the tare package weight so determined is valid for all the other packages in the sample, and the sample packages shall then be weighed for gross weight, and thereafter the net weight of commodity contained in each package shall be obtained by subtracting the tare package weight from the gross package weight. If the tare package weight so determined is more than three tenths of the maximum permissible error in relation to the commodity for that quantity, weight of four emptier tare packages shall be determined. If the difference between the maximum tare package weight and the minimum tare package weight of the five samples is equal to or less than four tenths of the maximum permissible error allowed for that commodity for that quantity, the tare weight of the package shall be taken as equal to the average of the five tare package weights. The gross weight of the package in the sample shall then be determined and the average tare package weight shall be subtracted from the gross package weight to obtain the net contents of the commodity in each package, in the sample. However, when the difference in the five individual tare weights of the packages exceeds the limit of four tenths of the maximum permissible error specified above, the procedure specified in sub-paragraph (4) or sub-paragraph (5), as the case may be, shall be adopted for determining the net quantity of individual packages.

(2) In the absence of empty tare packages, one package from the sample shall be opened and the net weight of the commodity and the tare weight of the package determined. If the tare weight of the package is equal to or less than three-tenth of the maximum permissible error for that concerned commodity of that quantity, it shall be assumed that the tare weight of one package so determined is valid for all the other packages in the sample, and the remaining packages shall then be weighed for gross weight, and thereafter the net weight of commodity contained in each package shall be obtained by subtracting the tare weight from the gross weight.

(3) If the tare weight of the package specified in sub-paragraph (2) is more than three-tenths of the maximum permissible error in relation to that commodity, four more packages in the samples shall be opened and the net weight of the commodity in each package as well as the tare weight of each package shall be determined. If the

difference between the maximum tare weight and the minimum tare weight of five samples is equal to or less than four-tenths of the maximum permissible error for that commodity of that quantity, the tare weight of the package shall be taken as equal to the arithmetic mean of the five tare weights. The gross weight of the packages in the sample shall then be determined to the requisite accuracy and the average tare weight of the contained shall be subtracted from the gross weight to obtain the net contents of the commodity in each package in the sample.

(4) Where it is found on examining the first package, as described in sub-paragraph (2) that the tare weight of the container exceeds the limits specified in sub-paragraph (2) and sub-paragraph (3) and the determination of net contents, cannot be carried out without opening the remaining packages, or it is not possible to use the procedure to use the procedure described in sub-paragraph (5) the size of the sample to be examined shall be restricted to that indicated in column (2), in accordance with the lot indicated in column (1) of Table of the Fifth Schedule and the determination of net quantity shall be carried out by opening all the packages in the sample.

(5) Where it is likely that the process of determination of the actual net quantity may be destructive and it is possible to feed empty package into the packing process without affecting the results, the following procedure shall be used:

- (a) the number of empty packages, depending upon the size of the lot, in accordance with columns (1) and (2) of Table of the Fifth Schedule shall be selected;
  - (b) the empty package shall be marked suitably to identify them from the other packages;
  - (c) the weight of each empty package, with its other parts which are to be fitted on it after it is filled shall be determined and the weight suitably recorded on the empty package and also on the Form specified in the Seventh Schedule;
  - (d) the empty package shall then be filled by introducing them in a random manner in the packing process, and such introduction shall be adequately spread over the duration in accordance with which the size of the lot is determined;
  - (e) the marked packages shall be taken out after completion of the filling and sealing operations and each such filled package shall be weighed again to the requisite accuracy;
  - (f) the net quantity shall be obtained by deducting the tare weight determined in accordance with clause (c) from the gross weight.
- (6) The Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall enter results of this examination of gross weight, net



weight and tare weight in the Form specified in the Seventh Schedule along with such other observation as he may wish to make on the basis of his examination.

**4. Determination of liquid contents by volume.**-(1) If the specific gravity of the liquid commodity filled in packages remains sufficiently constant for a lot and it is possible to determine accurately its specific gravity the method of determination of net contents by weight, described in paragraph 3 may be used.

(2) If the method described in sub-paragraph (1) is not feasible the containers shall be opened and the contents of each package poured out carefully into the appropriate volume measure.

(3) The reading of the actual net volume of the commodity in every package shall be noted carefully and recorded in the Form specified in the Seventh Schedule.

**5. Verification of length of commodities.**-(1) The sample shall be selected in the manner specified in the Fifth Schedule.

(2) If it is not possible to measure the dimensions with out opening the package, the package shall be opened.

(3) The length of the commodity shall be measured by means of a calibrated steel tape of suitable length.

(4) If the actual length of the commodity is so great that it is not possible to measure it with the tape measure and a suitable length measuring instrument is available on the premises, that instrument shall be use, after duly calibrating it by suitable means, with the steel tape serving ala working standard of length.

(5) The reading of the actual length of the commodity in every package shall be noted carefully and recorded in the Form specified in the Seventh Schedule.

**6. Verification of commodities packed by number.**- The Director, Controller or any Legal Metrology Officer shall take packages from the sample drawn by him in the manner specified in the Fifth Schedule and determine the extent of error, by actual counting in each such package and may, for that purpose open all packages.

**7. Checking of other declarations.**- (1) The declarations made on the package or on the label affixed thereto, shall be examined with a view to ascertaining whether such declarations conform to these rules and may be ensured either at the factory level or at the depot of the factory .

(2) The additional declarations made on the package or on the label affixed thereto in respect of item (f) and (g) of sub-rule (1) of rule 6 shall also be examined to ascertain whether they are adequate.

### THE SEVENTH SCHEDULE

#### Form A

#### Weight Checking – Data Sheet

A	
Particulars of Package	Name of Manufacturer/ Packer
	Address      Price      Month      Year
B	
Commodity Classification	Lot Size:      Sample Size:
	Schedule First/ Second Class A/ B Maximum permissible error in percentage
C	
	Sample No.      Gross Weight      Tare Weight      Net Weight/ error      Remarks
Weight Checking Data	1 200
D	
Results	Declared Wt.      Wt.      Avg.
E	
GENERAL COMMENTS WITH REGARD TO THE COMPLIANCE WITH THE ACT AND THE RULES MADE THEREUNDER	
F	
manufacturer/ manufacturer or	Signature and name of the authorized person
	Signature and name of packer authorized by any competent witness
	Place:
	Designation:
	Name:
	Time:

Note: If the data sheet runs into more pages than one, the each continuation sheet shall bear the signatures specified in Part F.

**Form B****Volume/ Length Checking – Data Sheet**

<b>A</b> Particulars of Package		Name of Manufacturer/ Packer				
		Address	Price	Month	Year	
<b>B</b> Commodity Classification		Lot Size: Schedule First/ Second Class A/ B Maximum permissible error in percentage		Sample Size:		
<b>C</b>		Sample No.	Gross Weight	Tare Weight	Net Weight/ error	Remarks
Volume/ Length Checking Data		1 200				
<b>D</b> Results		Declared Volume/ Length		Avg. Volume/ Length		
<b>E</b> GENERAL COMMENTS WITH REGARD TO THE COMPLIANCE WITH THE ACT AND THE RULES MADE THEREUNDER						
<b>F</b>		Signature and name of the authorized person		Signature and name of manufacturer/ packer authorized by manufacturer or any competent witness		
		Designation: Name: Time:		Place:		

Note: If the data sheet runs into more pages than one, the each continuation sheet shall bear the signatures specified in Part F.

[F. No. WM-9(6)/2010-Pt.]

RAKESH KACKER, Spl. Secy.